ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
निर्णय पत्रिका
की प्रस्तुति

आगरा षड्यंत्र प्रकरण

निर्णय दिनांक 26.11.1934 (हिन्दी में अनुवादित)

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एप्वसीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पित

सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए-क़ातिल में है

ऐ शहीद-ए-मुल्क-ओ-मिल्लत मैं तिरे ऊपर निसार
ले तिरी हिम्मत का चर्चा ग़ैर की महफ़िल में है

वाए क़िस्मत पाँव की ऐ ज़ोफ़ कुछ चलती नहीं
कारवाँ अपना अभी तक पहली ही मंज़िल में है

रहरव-ए-राह-ए-मोहब्बत रह न जाना राह में
लज़्ज़त-ए-सहरा-नवर्दी दूरी-ए-मंज़िल में है

शौक़ से राह-ए-मोहब्बत की मुसीबत झेल ले
इक ख़ुशी का राज़ पिन्हाँ जादा-ए-मंज़िल में है

आज फिर मक़्तल में क़ातिल कह रहा है बार बार
आएँ वो शौक़-ए-शहादत जिन के जिन के दिल में है

मरने वालो आओ अब गर्दन कटाओ शौक़ से
ये ग़नीमत वक़्त है ख़ंजर कफ़-ए-क़ातिल में है

माने-ए-इज़हार तुम को है हया, हम को अदब
कुछ तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमारे दिल में है

मय-कदा सुनसान ख़ुम उल्टे पड़े हैं जाम चूर
सर-निगूँ बैठा है साक़ी जो तिरी महफ़िल में है

वक़्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमाँ
हम अभी से क्यूँ बताएँ क्या हमारे दिल में है

अब न अगले वलवले हैं और न वो अरमाँ की भीड़
सिर्फ़ मिट जाने की इक हसरत दिल-ए-'बिस्मिल' में है

- ख़ालिक़ बिस्मल अज़ीमाबादी

हमें अत्यंत गर्व है कि आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रकरण "आगरा षड्यन्त्र प्रकरण " में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.1934 के अनुवाद पर आधारित ई-पुस्तिका के विमोचन के साक्षी बन रहे है, जो 'ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय' का तृतीय संस्करण है। यह निर्णय साक्षियों, षड्यंत्र की कानूनी अवधारणा और दंड निर्धारण के विषय में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल आधार न्याय, निष्पक्षता और प्रमाण की कठोर कसौटी ही है।

"आगरा षड्यन्त्र प्रकरण" भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है जो ब्रिटिश शासन काल में अभियुक्त को दोषमुक्त करने का अप्रतिम उदहारण प्रस्तुत करता है । इस प्रकाशन को हम जनमानस के लिए विनम्रतापूर्वक लोकार्पित करते है।

यह संस्करण विधिक शोधकर्ताओं, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों एवं विधि विद्यार्थियों के लिए एक अमूल्य संदर्भ सामग्री सिद्ध होगी। यह विमोचन न् केवल प्रकाशन को सशक्त बनाने का प्रयास है, अपितु न्याय तक पहुच को सरल, सुलभ और बहुभाषीय बनाने की दिशा में एक प्रसंशनीय कदम है। हम इस प्रयास में सहभागी विद्वानों, संपादकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों का हार्दिक आभार व्यक्त करते है।

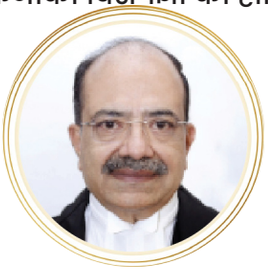

संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली

(मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

माननीय न्यायमूर्ति

श्री अजित कुमार

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति

श्री सौरभ श्याम शमशेरी

सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति

श्री विक्रम डी. चौहान

सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति

श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा

सदस्य

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

SAMIR SHARMA

Senior Advocate,

High Court, Allahabad.

हर युग में कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो अपने युग से आगे निकल जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आगरा षड्यंत्र केस (Agra Conspiracy Case) में, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा ही एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जो आपराधिक अपील संख्या 162-1934 के रूप में प्रविष्ट हुआ तथा इसमें 26 नवम्बर 1934 को निर्णय सुनाया गया। यह मामला कानूनी दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत ने अधिकांश आरोपियों को षड्यंत्र (Conspiracy) के आरोपों से मुक्त कर दिया क्योंकि सबूत मुख्य रूप से "सरकारी अनुमोदकों" (अप्रूवर) पर आधारित थे और उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी थी।

इस प्रकरण में कुल छह अभियुक्तों (अपीलकर्ताओं) पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 1931 से 1932 के बीच आगरा में संगठित रूप से एक आपराधिक षड्यंत्र रचा, जिसका उद्देश्य था—हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करना, सशस्त्र डकैती करना, जबरन फिरौती वसूलना, बम विस्फोट करना तथा आवश्यकता पड़ने पर हत्या तक करना।

सत्र न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 114 गवाह पेश किए, बचाव पक्ष ने 85 गवाह बुलाए, कुल 253 प्रदर्श (Exhibits) प्रस्तुत किए गए तथा सुनवाई इस बहस 48 दिन तक चली। अभियोजन का पूरा ढांचा मुख्यतः तीन सरकारी अनुमोदकों की गवाहियों पर टिका हुआ था।

अभियोजन ने अनेक गंभीर अपराधों—आग्नेयास्त्रों की चोरी, बम निर्माण, डकैती और जबरन वसूली—को एक ही अवैध उद्देश्य की कड़ियों के रूप में जोड़ने का प्रयास किया। इस अभियोजन कथा के केंद्र में अप्रूवर खड़ा था—वह सह-अभियुक्त, जो दंड और दया के मध्य खड़े होकर अपने ही साथियों के विरुद्ध साक्ष्य देता है। सत्र न्यायालय ने इन गवाहियों को लगभग निर्विवाद सत्य के रूप में स्वीकार किया, और उन्हीं शब्दों के आधार पर अभियुक्तों को मृत्युदंड तक दे दिया।

अपील में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न केवल तथ्यात्मक प्रश्नों की, बल्कि षड्यंत्र संबंधी विधिक सिद्धांतों और आपराधिक साक्ष्य के मानकों की भी सूक्ष्म समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया कि आरोपों की गंभीरता, आपराधिक प्रमाण के स्थापित मानकों का स्थान नहीं ले सकती। न्यायालय ने बल दिया कि षड्यंत्र, भले ही स्वभावतः गुप्त हो, अनुमान या नैतिक संदेह के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता।

अपील में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न केवल तथ्यात्मक प्रश्नों की, बल्कि षड्यंत्र संबंधी विधिक सिद्धांतों और आपराधिक साक्ष्य के मानकों की भी सूक्ष्म समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया कि आरोपों की गंभीरता, आपराधिक प्रमाण के स्थापित मानकों का स्थान नहीं ले सकती। न्यायालय ने बल दिया कि षड्यंत्र, भले ही स्वभावतः गुप्त हो, अनुमान या नैतिक संदेह के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता।

अंततः; उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है, और इसलिए सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए मुक्त किया जाना आवश्यक है। यह निर्णय इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि—"हजार दोषी छूट जाएँ, पर एक निर्दोष को दंड न मिले।"

आगरा षड्यंत्र प्रकरण भारतीय आपराधिक विधि में एक निर्णायक और स्थायी महत्व रखने वाला निर्णय माना जाता है। इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी अपराध की गंभीरता, दोषसिद्धि के मानकों को शिथिल करने का आधार नहीं बन सकती, और केवल संदेह, अनुमान अथवा अविश्वसनीय साक्ष्य के सहारे अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस दृष्टि से, आगरा षड्यंत्र प्रकरण केवल साक्ष्य के मूल्यांकन या षड्यंत्र की विधिक अवधारणा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की उस मूल भावना को भी रेखांकित करता है, जिसके केंद्र में न्याय, निष्पक्ष प्रक्रिया और प्रमाण की कठोर कसौटी निहित है।

वरिष्ठ संपादक

समीर शर्मा

समीर शर्मा

वरिष्ठ अधिवक्ता

आगरा षड्यंत्र प्रकरण: सारांश

आगरा षड्यंत्र प्रकरण (Agra Conspiracy Case), स्वतंत्रता संग्राम के दौरान माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण वाद था, जो आपराधिक अपील संख्या 162 -1934 के रूप में प्रविष्ट हुआ तथा इसमे 26 नवंबर 1934 को माननीय न्यायमूर्ति हैरिस एवं माननीय न्यायमूर्ति रक्षपाल सिंह कि पीठ द्वारा निर्णय सुनाया गया। यह मामला कानूनी दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत ने अधिकांश आरोपियों को षड्यंत्र (Conspiracy) के आरोपों से मुक्त कर दिया क्योंकि सबूत मुख्य रूप से 'सरकारी अनुमोदको' पर आधारित थे और उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी थी। इसमें सरकारी अनुमोदुको के साक्ष्यों की पुष्टि के लिए कड़े मानकों की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

इस प्रकरण में अनेक अभियुक्तों पर आपराधिक षड्यंत्र, सशस्त्र डकैती, हत्या, विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग तथा अवैध हथियारों के संग्रहण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। फरवरी 1931 से अगस्त 1932 के बीच आगरा में घटित घटनाओं के आधार पर अभियोजन ने यह आरोप लगाया कि अभियुक्तों ने संयुक्त रूप से सरकार विरोधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक आपराधिक षड्यंत्र रचा। कथित षड्यंत्र के अंतर्गत हथियारों की चोरी, डकैती, बम विस्फोट, जबरन वसूली तथा हिंसक कृत्यों को अंजाम दिया गया।

अभियुक्तों का परिचय: इस मामले में कुल छह मुख्य अपीलकर्ता थे:

1. बच्चा बाबू उर्फ कामता प्रसाद
2. उमराव सिंह उर्फ नेपाली
3. ऋषि नाथ
4. राम सिंह
5. बंगाली मल
6. ज्वाला इनके अतिरिक्त कुछ सह-अभियुक्त थे जो या तो फरार रहे या बाद में सरकारी गवाह बन गए, जैसे – दाऊ दयाल, उमा शंकर, राम नाथ तथा विश्व नाथ।

अभियोजन पक्ष के कथन

अभियोजन का मुख्य कथन यह था कि बच्चा बाबू इस षड्यंत्र का प्रमुख सूत्रधार था। उसके नेतृत्व में अन्य अभियुक्तों ने मिलकर क्रांतिकारी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अवैध गतिविधियाँ संचालित कीं। धन की कमी के कारण हथियारों की चोरी, सशस्त्र डकैती, बम विस्फोट तथा जबरन फिरौती को साधन के रूप में अपनाया गया। अभियोजन के अनुसार, बच्चा बाबू के घर को हथियारों, गोला-बारूद एवं विस्फोटक पदार्थों के भंडारण का केंद्र बनाया गया था। वहीं से अभियुक्तों को हथियार उपलब्ध कराए जाते थे।

इस प्रकरण में कुल छह अभियुक्तों (अपीलकर्ताओं) पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 1931 से 1932 के बीच आगरा में संगठित रूप से एक आपराधिक षड्यंत्र रचा, जिसका उद्देश्य था—हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करना, सशस्त्र डकैती करना, जबरन फिरौती वसूलना, बम विस्फोट करना तथा आवश्यकता पड़ने पर हत्या तक करना। यह षड्यंत्र भारतीय

दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता था

अभियोजन पक्ष की साक्ष्य-रणनीति

यह मामला असाधारण रूप से लंबा और जटिल था। सत्र न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 114 गवाह पेश किए, बचाव पक्ष ने 85 गवाह बुलाए, कुल 253 प्रदर्श (Exhibits) प्रस्तुत किए गए तथा सुनवाई और बहस 48 दिनों तक चली। अभियोजन की पूरी आधारशिला मुख्यतः तीन सरकारी अनुमोदकों (Approvers) की साक्ष्यों पर टिकी हुई थी।

सरकारी अनुमोदक (Approvers)

तीन अभियुक्तों ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद अपराध स्वीकार किया और बाद में सरकारी अनुमोदक बना दिए गए—

1. विश्व नाथ 2. राम नाथ 3. उमा शंकर

इन तीनों ने मजिस्ट्रेट के सामने स्वयं स्वीकारोक्ति दिए तथा बाद में सत्र न्यायालय में अभियोजन के समर्थन में गवाही दी, अन्य अभियुक्तों को षड्यंत्र और डकैतियों में फँसाया गया।

साक्षियो पर लागू कानूनी सिद्धांत

न्यायालय ने विस्तार से स्पष्ट किया कि—

- भारतीय क़ानून में केवल सरकारी साक्ष्य के गवाह के आधार पर दोषसिद्धि अवैध नहीं है,
- लेकिन न्यायिक परंपरा (English Practice) के अनुसार:, किसी भी अभियुक्त को अनुमोदक के अकेले साक्ष पर दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जब तक उसकी स्वतंत्र और विश्वसनीय पुष्टि (Corroboration) न हो।

घटनाओं का क्रमवार विवरण

1. 19 फरवरी 1931 – आगरा में अधिवक्ता केहरी सिंह के घर से रिवॉल्वर की चोरी।
2. 13 जुलाई 1931 – हाकिम ज्ञान सिंह के घर से एक अन्य रिवॉल्वर की चोरी।
3. 14 मार्च 1932 – मनोहर भगत ध्यान राम के गोदाम में सशस्त्र डकैती, जिसमें गुलजारी खाँ घायल हुआ।
4. 1 अप्रैल 1932 – छत्ता थाना, आगरा के पीछे बम विस्फोट।
5. 6 अप्रैल 1932 – आनंदी लाल के घर पर बम एवं धमकी भरा पत्र रखकर जबरन फिरौती का प्रयास।
6. 13 जुलाई 1932 – जमना दास के गोदाम में भीषण डकैती, जिसमें दुर्गा प्रसाद की मृत्यु हुई।

अभियुक्तों पर लगाए गए आरोप (Charges)

(क) सामान्य षड्यंत्र का आरोप सभी अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया।

(ख) बच्चा बाबू पर विशिष्ट आरोप

- धारा 395/397 सपठित धारा 109 भा.दं.सं.: डकैती के लिए उकसाना एवं हथियार उपलब्ध कराना।

- शस्त्र अधिनियम, धारा 20: अवैध हथियारों का कब्ज़ा।
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, धारा 5: विस्फोटक सामग्री का अवैध भंडारण।
- धारा 411 भा.दं.सं.: चोरी की संपत्ति (हथियार) का कब्ज़ा।

(ग) नेपाली पर आरोप
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, धारा 4(ए): बम फेंकना।
- धारा 395/396 भा.दं.सं.: सशस्त्र डकैती एवं हत्या।

(घ) ऋषि नाथ पर आरोप
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, धारा 5: विस्फोटक पदार्थ रखना।

(ङ) राम सिंह पर आरोप
- धारा 380 भा.दं.सं.: चोरी।

(च) बंगाली मल पर आरोप
- धारा 395/397 भा.दं.सं.: सशस्त्र डकैती।
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, धारा 4(ए)।
- धारा 387 सहपठित धारा 109 भा.दं.सं.: जबरन फिरौती हेतु उकसाना।

(छ) ज्वाला पर आरोप
- धारा 395/397 भा.दं.सं.: सशस्त्र डकैती।

साक्ष्य का स्वरूप

अभियोजन ने कुल 114 अनुमोदक प्रस्तुत किए। इनमें प्रमुख भूमिका तीन सरकारी अनुमोदकों – उमा शंकर, राम नाथ एवं विश्व नाथ – की थी। इनके अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, तलाशी गवाह, फॉरेंसिक विशेषज्ञ तथा स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष ने अभियोजन के साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठाए, विशेष रूप से सरकारी गवाहों की स्वीकारोक्तियों की स्वैच्छिकता पर।

पुलिस जाँच एवं गिरफ़्तारियाँ

5 अगस्त 1932 को बच्चा बाबू के घर पर छापेमारी में बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद तथा विस्फोटक पदार्थ बरामद होने का दावा किया गया। इसके पश्चात विभिन्न अभियुक्तों की गिरफ़्तारियाँ हुईं। कुछ अभियुक्तों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वयं स्वीकारोक्ति दिए और बाद में सरकारी साक्षी बन गए।

अभियोजन साक्ष्य का स्वरूप

अभियोजन ने 114 अनुमोदकों और सैकड़ों दस्तावेज़ों पर भरोसा किया। प्रमुख साक्ष्य तीन सरकारी अनुमोदकों—उमा शंकर, राम नाथ तथा विश्व नाथ—के बयान थे। इनके

अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों, तलाशी गवाहों तथा तकनीकी विशेषज्ञों की गवाही प्रस्तुत की गई।

अनुमोदक (Approvers) की विश्वसनीयता

न्यायालय ने सरकारी अनुमोदकों की स्वयं स्वीकारोक्तियों में समानता, असामान्य तत्परता तथा परस्पर विरोधाभासों पर गंभीर संदेह व्यक्त किया। स्वयं स्वीकारोक्तियों की संरचना, विवरणों में बाद की वृद्धि तथा स्वतंत्र पुष्टि के अभाव ने उनकी विश्वसनीयता को कमजोर किया। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा— तीनों सरकारी साक्ष्यों की गवाही एक-दूसरे की पुष्टि नहीं कर सकती और स्वतंत्र, विश्वसनीय पुष्टि के बिना उन पर दोषसिद्धि नहीं टिक सकती। यह अभियोजन के लिए एक गंभीर झटका था। तीनों सरकारी गवाहों को अविश्वसनीय मान लेने के बाद न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न यह था—क्या ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य है जो अभियुक्तों को षड्यंत्र और अपराध से जोड़ता हो?

न्यायालय ने प्रत्येक तथाकथित "पुष्टिकरण अनुमोदक" और भौतिक प्रमाण की अलग-अलग गहन जाँच की। अभियोजन ने कुछ अनुमोदकों को पेश किए जिन्होंने दावा किया कि—डकैती की रात अभियुक्तों को एक साथ जाते देखा गया ।लेकिन न्यायालय ने पाया अनुमोदकों ने कहा कि सभी अभियुक्त एक ही समूह में साथ-साथ चल रहे थे, जबकि सरकारी अनुमोदकों के अनुसार, अभियुक्त दो अलग-अलग समूहों में गए थे। यह विरोधाभास अभियोजन के कथन को कमजोर करता है

पहचान परेड (Identification Parade) की कमियाँ

कुछ गवाहों से पहचान कराई गई, परंतु—पहचान परेड घटना के काफ़ी समय बाद कराई गई, अभियुक्त पहले से पुलिस हिरासत में थे तथा अनुमोदकों ने अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने अभियुक्तों को पहले ही देख लिया था। न्यायालय ने कहा: "ऐसी पहचान का साक्ष्य अत्यंत कमजोर होता है।"

हथियारों की बरामदगी

अभियोजन ने विभिन्न स्थानों से रिवॉल्वर, कारतूस, बम के खोल बरामद होने का दावा किया। इस पर न्यायालय ने पाया— बरामदगी में स्वतंत्र पंच गवाहों का अभाव, बरामद हथियारों का किसी विशेष अभियुक्त से सीधा संबंध स्थापित नहीं था तथा कोई फॉरेंसिक मिलान भी नहीं था, इसलिए यह साक्ष्य भी निर्णायक नहीं माना गया। न्यायालय ने कहा कि सरकारी गवाह अविश्वसनीय, स्वतंत्र पुष्टि कमजोर, भौतिक साक्ष्य अपूर्ण तथा पहचान साक्ष्य असुरक्षित है, ऐसे मामलों में: "संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना अनिवार्य है।"

न्यायालय ने निर्णय दिया कि—धारा 120-B IPC के आवश्यक तत्व इस मामले में सिद्ध नहीं हुए अभियुक्तों को केवल कथित संघटन के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता परिणामस्वरूप: सभी अभियुक्तों को षड्यंत्र के आरोप से बरी किया गया।

स्वतंत्र साक्ष्यों का मूल्यांकन

न्यायालय ने हथियारों की बरामदगी, चोरी की पिस्तौलों की पहचान, तथा फॉरेंसिक साक्ष्य का पृथक-पृथक मूल्यांकन किया। कुछ साक्ष्य विश्वसनीय

माने गए, जबकि कुछ तकनीकी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अपर्याप्त या असुरक्षित माना गया।

विधिक सिद्धांत—आपराधिक षड्यंत्र

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपराधिक षड्यंत्र सिद्ध करने हेतु सहमति का प्रमाण आवश्यक है तथा सह-अभियुक्त (सरकारी गवाह) के साक्ष्य की स्वतंत्र पुष्टि अनिवार्य है। मात्र स्वीकारोक्ति या सह-अभियुक्त की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी गई।

बचाव पक्ष के तर्क

बचाव पक्ष ने साक्ष्य के मनगढ़ंत होने, पुलिस द्वारा फँसाए जाने, तथा सरकारी गवाहों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार की ओर संकेत किया। वैकल्पिक संभावनाओं और साक्ष्य की कमजोरियों को रेखांकित किया गया।

हत्या (धारा 302 IPC), नेपाली के विरुद्ध साक्ष्य और मृत्युदंड पर न्यायालय की दृष्टि

इस मामले में दुर्गा प्रसाद की मृत्यु 13 जुलाई 1932 को जमना दास के गोदाम में हुई डकैती के दौरान हुई। अभियोजन का आरोप था कि—उमराव सिंह उर्फ नेपाली ने रिवॉल्वर से गोली चलाई गोली लगने से दुर्गा प्रसाद की मृत्यु हुई इस आधार पर उस पर धारा 302 IPC के अंतर्गत आरोप लगाया गया। न्यायालय ने सबसे पहले यह अंकित किया कि— हत्या का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था , गोली चलाने का आरोप केवल सरकारी गवाहों की गवाही पर आधारित था जब वे गवाह अविश्वसनीय पाए गए, तो हत्या का आरोप स्वतः कमजोर हो गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह सिद्ध हुआ कि— मृत्यु गोली लगने से हुई, गोली सामने से आई लेकिन रिपोर्ट यह नहीं बताती कि गोली किसने चलायी, न ही इसे किसी विशेष हथियार से जोड़ती है, इसलिए चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन के कथन को आंशिक रूप से ही समर्थन देता है।

मृत्युदंड पर न्यायालय की टिप्पणी

सत्र न्यायालय ने नेपाली को मृत्युदंड दिया था उच्च न्यायालय ने कहा— "मृत्युदंड तभी दिया जा सकता है जब दोष पूर्णतः और निर्विवाद रूप से सिद्ध हो।"इस प्रकरण में कमजोर साक्ष्य, सरकारी गवाह अविश्वसनीय, स्वतंत्र पुष्टि का अभाव था, इसलिए मृत्युदंड न्यायसंगत नहीं ठहराया गया।

हत्या के आरोप पर अंतिम निष्कर्ष

न्यायालय ने निर्णय दिया कि—नेपाली के विरुद्ध धारा 302 IPC का आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ अतः उसे हत्या के आरोप से मुक्त किया गया।

डकैती का आरोप – अभियोजन की स्थिति

अभियोजन ने आरोप लगाया कि—अभियुक्तों ने संगठित रूप से जमना दास के गोदाम में डकैती की, हथियारों का प्रयोग किया गया इस कारण धारा 395/397 IPC लागू होती है। इस आरोप का आधार भी मुख्यतः—सरकारी गवाहों की गवाही एवं कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर था।

डकैती में भागीदारी का प्रश्न

न्यायालय ने स्पष्ट किया—"धारा 395 IPC के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है

कि अभियुक्त वास्तव में डकैती में भागीदार था।" लेकिन कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, पहचान साक्ष्य कमजोर थे और सरकारी गवाह अविश्वसनीय थे, इसलिए व्यक्तिगत भागीदारी संदेह से परे सिद्ध नहीं हुई।

धारा 397 IPC (घातक हथियार का प्रयोग)

धारा 397 लागू करने के लिए—यह सिद्ध होना चाहिए कि अभियुक्त ने स्वयं घातक हथियार का प्रयोग किया इसपर न्यायालय ने कहा—जब यह ही सिद्ध नहीं कि अभियुक्त घटनास्थल पर था तो धारा 397 स्वतः गिर जाती है।

शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप

कुछ अभियुक्तों पर—बिना लाइसेंस हथियार रखने का आरोप था इसपर न्यायालय ने पाया कि बरामदगी की प्रक्रिया संदिग्ध, स्वतंत्र गवाहों का अभाव, हथियार का अभियुक्त से सीधा संबंध नहीं था। अतः शस्त्र अधिनियम के आरोप भी सिद्ध नहीं हुए।

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम

ऋषि नाथ एवं अन्य पर—विस्फोटक रखने, बम बनाने की सामग्री का आरोप था परन्तु कोई साक्षी नहीं था, विस्फोटक की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई एवं बरामदगी संदिग्ध पाई गयी। इसपर, न्यायालय ने कहा कि"ऐसे गंभीर अपराधों में तकनीकी साक्ष्य अनिवार्य है।"

सामूहिक अपराध बनाम व्यक्तिगत दायित्व

न्यायालय ने फिर दोहराया कि—सामूहिक आरोप तभी टिकेगा जब व्यक्तिगत भूमिका सिद्ध हो तथा केवल कथित संगठन दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता।

निचली अदालत की त्रुटियाँ

उच्च न्यायालय ने पाया कि—सत्र न्यायालय ने सरकारी गवाहों की गवाही पर अत्यधिक भरोसा किया तथा स्वतंत्र पुष्टि का सही मूल्यांकन नहीं किया अतः इसे गंभीर न्यायिक त्रुटि माना गया।

डकैती व सहायक अपराधों पर निष्कर्ष

न्यायालय ने निर्णय दिया—धारा 395/397 IPC, शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, इन सभी आरोपों में अभियोजन असफल रहा।

निष्कर्ष

आगरा षड्यंत्र प्रकरण भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि गंभीर से गंभीर अपराध में भी दोषसिद्धि केवल संदेह, अनुमान या अविश्वसनीय गवाही के आधार पर नहीं की जा सकती।

इस मामले में अभियोजन की पूरा आधारशिला मुख्यतः तीन सरकारी साक्षियो की गवाही पर आधारित था। उच्च न्यायालय ने गहन परीक्षण के बाद पाया कि इन

गवाहों के अपराध स्वीकारोक्ति और न्यायालयीन साक्ष्यों में गंभीर विरोधाभास, अस्वाभाविक समानता और बाद की बढ़ोतरी (improvements) मौजूद थीं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एक सरकारी साक्षी दूसरे सरकारी साक्षी की पुष्टि नहीं कर सकता, और जब तक उसकी साक्ष्यों की स्वतंत्र, विश्वसनीय और अभियुक्त को सीधे जोड़ने वाली पुष्टि न हो, तब तक उस पर भरोसा करना न्यायसंगत नहीं है। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120-B IPC) सिद्ध करने के लिए केवल यह दिखा देना पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त एक-दूसरे को जानते थे या कभी-कभी मिलते थे। अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि उनके बीच किसी अवैध कार्य को करने का स्पष्ट और सक्रिय समझौता था। इस मामले में ऐसी कोई सतत और अविच्छिन्न श्रृंखला सिद्ध नहीं हो सकी, जिससे सभी अभियुक्तों को एक ही षड्यंत्र से जोड़ा जा सके।

हत्या (धारा 302 IPC), डकैती (धारा 395/397 IPC), शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोपों में भी अभियोजन स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी, तकनीकी साक्ष्य और विश्वसनीय भौतिक प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा। विशेष रूप से, मृत्युदंड जैसे अत्यंत कठोर दंड के संदर्भ में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जब तक अपराध संदेह से परे सिद्ध न हो, तब तक ऐसा दंड देना असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण होगा। अंततः, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है, और इसलिए सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए मुक्त किया जाना आवश्यक है। यह निर्णय इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि—"हज़ार दोषी छूट जाएँ, पर एक निर्दोष को दंड न मिले।"

इस प्रकार, आगरा षड्यंत्र प्रकरण न केवल साक्षियों, षड्यंत्र की कानूनी अवधारणा और दंड निर्धारण पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल आधार न्याय, निष्पक्षता और प्रमाण की कठोर कसौटी ही रहेगा।

अस्वीकरण

ई- पुस्तिका मे प्रकाशित निर्णय को ए.आई. तकनीक का प्रयोग कर अनुवादित किया गया है।

अनुवादित संस्करण में पूर्ण एवं उचित जानकारी प्रदान करने के लिए सतर्कता और सावधानी बरती गई है। फिर भी, गलत या अशुद्ध अनुवाद अथवा अनुवादित निर्णय की अंतर्वस्तु में, किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के लिए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ की रजिस्ट्री/ सुवास प्रकोष्ठ उत्तरदायी नहीं होगा ।

मूल निर्णय स्त्रोत :

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मूल पत्रावली
(विधि संग्रहालय, प्रयागराज में संरक्षित)

आपराधिक अपील सं. 162 वर्ष 1934
आगरा षडयंत्र केस

माननीय न्यायमूर्ति हैरिस
एवं
माननीय न्यायमूर्ति रक्षपाल सिंह

इस मामले में, जिसे आगरा षडयंत्र केस के रूप में संदर्भित किया गया है, सभी छह अपीलकर्ताओं पर षडयंत्र का आरोप लगाया गया था, आरोप यह है कि फरवरी 1931 और अगस्त 1932 के बीच आगरा में, उन्होंने संयुक्त रूप से और अलग-अलग राय बनाकर और एक दूसरे के साथ और दाऊ दयाल के साथ, जो फरार है, और उमा शंकर, राम नाथ और विश्व नाथ के साथ भी, जो सरकारी गवाह हैं, और अन्य व्यक्तियों के साथ, जो ज्ञात या अज्ञात हैं और जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हैं, संयुक्त रूप से और अलग-अलग अवैध कार्य करने या करवाने का षड़यंत्र रचा। इन अवैध कार्यों में आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थों को इकट्ठा करना और रखना, हत्या के प्रयास करना, डकैती और जबरन फिरौती करना शामिल था, जो शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भा.दं.सं. के तहत अपराध हैं। यह भी आरोप था कि उपरोक्त षड़यंत्र के अनुसरण में (क) 19 फरवरी 1931 और 13 जुलाई 1931 को क्रमशः एक रिवॉल्वर और एक स्वचालित पिस्तौल चोरी कर ली गई और (ख) 14 मार्च 1932 को मनोहर भगत ध्यान राम के गोदाम में डकैती की गई जिसमें आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और (ग) 13 जुलाई 1932 को जमना दास नामक व्यक्ति के गोदाम में एक और डकैती की गई जिसमें एक व्यक्ति मारा गया और (घ) 1 अप्रैल 1932 को एस.ओ.आई., छत्ता के क्वार्टर के पीछे बम फेंक कर उस पर जानलेवा हमला किया गया और (ङ) ऐसा ही एक और प्रयास 6 अप्रैल 1932 को आनंदी लाल से धन उगाही के उद्देश्य से आगरा स्थित उसके घर पर बम लगाकर उस पर जानलेवा हमला किया गया।

अपीलकर्ता बच्चा बाबू उर्फ कामता प्रसाद (एतस्मिनपश्चात बच्चा बाबू के रूप में संदर्भित) पर आगे आरोप लगाया गया -

(1) कि उसने डकैतों को हथियार उपलब्ध कराकर 14 मार्च 1932 को मनोहर भगत ध्यान राम के घर पर पूर्व में उल्लिखित डकैती के लिए उकसाया था, जिसमें गुलजारी खान नामक व्यक्ति को गोली लगी थी। इन हथियारों का प्रयोग़ डकैती में किया गया था और बाद में उसके घर से बरामद किए गए थे जो कि धारा 395/397 भा.दं.सं. सपठित धारा 109 भा.दं.सं. के विरुद्ध था।

(2) यह कि उसने 13 जुलाई 1932 को जमना दास के गोदाम में डकैती के लिए उकसाया था, जिसमें दुर्गा नामक व्यक्ति रिवॉल्वर की गोली से मारा गया था, उकसावे के कार्य में डकैतों को हथियार उपलब्ध कराना शामिल था, जिनका उपयोग डकैती में किया गया था और जो बाद में उसके घर से बरामद किए गए थे जो कि धारा 395/397 भा.दं.सं. सपठित धारा 109 भा.दं.सं. के विरुद्ध था।

(3) कि दिनांक 5 अगस्त 1932 को उसके पास बड़ी संख्या में हथियार और शस्त्र पाए गए, जो उसके घर में एक गुप्त स्थान से बरामद किए गए थे, जो

कि शस्त्र अधिनियम की धारा 20 के विरुद्ध था।

(4) कि दिनांक 5 अगस्त 1932 को उसके पास पिक्रिक एसिड और अमोनिया युक्त दो बोतलें पाई गईं, जो अत्यधिक विस्फोटक प्रकृति के अवयव हैं और ऐसी परिस्थितियों में पाए गए हैं जिनसे यह युक्तियुक्त संदेह पैदा हुआ कि उन्हें किसी वैध उद्देश्य के लिए नहीं रखा जा रहा था, जो कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के विरुद्ध था।

(5) कि दिनांक 5 अगस्त 1932 को उसके पास एक पिस्तौल और एक रिवॉल्वर पाया गया, जो चुराये गये हथियार थे, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि वे चुराए गए थे या उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार थे कि वे चुराए गए थे, जो कि भा.दं.सं की धारा 411 के विरुद्ध था।

अपीलकर्ता उमराव सिंह उर्फ नेपाली (एतस्मिनपश्चात नेपाली के रूप में संदर्भित) पर आगे आरोप लगाया गया-

(1) यह कि 1 अप्रैल 1932 को आगरा शहर के छत्ता थाने में उसने उक्त थाने के पीछे परिसर में एक बम फेंका जिसका उद्देश्य मानव जीवन को खतरा या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए विस्फोट करना था जो कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4(ए) के विरुद्ध था।

(2) यह कि 13 जुलाई 1932 को उसने जमना दास के गोदाम में डकैती डाली, जिसमें उसके द्वारा चलाई गई गोली से दुर्गा नामक व्यक्ति की मौत हो गई।

अपीलकर्ता ऋषि नाथ पर यह भी आरोप लगाया गया कि 19 जून 1931 को आगरा के किनारी बाजार स्थित उसकी दुकान में विस्फटक पदार्थ पाए गए, जिनमें विस्फोट हो गया और उसके हाथ में चोट लग गई तथा यह कि इन परिस्थितियों में उसके पास ये वस्तुएं थीं, जिससे यह संदेह पैदा हुआ कि उन्हें विधिसम्यक उद्देश्य से नहीं रखा गया था जो कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के विरुद्ध था।

अपीलकर्ता राम सिंह पर यह भी आरोप लगाया गया कि 13 जुलाई 1931 को उसने अपने चाचा हाकिम ज्ञान सिंह के घर में अतिथि के रूप में रह रहे दुर्विजय सिंह की रिवॉल्वर चुरा ली, जो कि भा.दं.सं. की धारा 380 के विरुद्ध था।

अपीलकर्ता बंगाली मल पर आगे आरोप लगाया गया

(1) यह कि 14 मार्च 1932 को उसने मनोहर भगत ध्यान राम के गोदाम में डकैती डाली, जिसमें घातक हथियारों का प्रयोग किया गया और गुलजारी खान को गोली लगी, जो भा.दं.सं. की धारा 395/397 के विरुद्ध था।

(2) यह कि 1 अप्रैल 1932 को आगरा शहर के छत्ता थाने में उसने उक्त थाने के पीछे परिसर में एक बम फेंका जिसका उद्देश्य मानव जीवन को खतरा या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए विस्फोट करना था जो कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4(ए) के विरुद्ध था।

(3) यह कि 6 अप्रैल 1932 को उसने जबरन फिरौती के अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाया जब उसने एक टाइपराइटर मुहैया कराया, जिस पर एक धमकी भरा पत्र टाइप किया गया था और जिसे आनंदी लाल नामक व्यक्ति के घर पर बम के साथ रखा गया था, जो कि भा.दं.सं. की धारा 387 सपठित धारा 109 भा.दं.सं. के विरुद्ध था।

अपीलकर्ता ज्वाला पर यह भी आरोप लगाया गया कि 14 मार्च 1932 को उसने मनोहर भगत ध्यान राम के गोदाम में डकैती डाली थी, जिस डकैती में वह घातक हथियारों से लैस था और जिसमें गुलजारी खान को गोली लगी थी।

विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपीलकर्ताओं ने दोषी न होने की दलील दी।

अपीलकर्ता बच्चा बाबू को सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया और भा.दं.सं. की धारा 120बी सपठित धारा 395/396 भा.दं.सं. के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। शस्त्र अधिनियम की धारा 20 के तहत आरोप के संबंध में उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत आरोप के संबंध में पाँच वर्ष के सश्रम कारावास और भा.दं.सं. की धारा 411 के तहत आरोप के संबंध में तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई; ये सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। चूँकि उसे षडयंत्र रचने के आरोप में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी, इसलिए डकैती के लिए उकसाने के आरोपों के संबंध में अलग से कोई सजा नहीं सुनाई गई, हालाँकि उसे प्रत्येक उकसावे के लिए दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया था।

अपीलकर्ता नेपाली को सभी आरोपों के संबंध में दोषी पाया गया और भा.दं.सं. की धारा 120बी सपठित धारा 395/396 भा.दं.सं. के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। उसे भा.दं.सं. की धारा 395/396 के तहत भी दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4(ए) के तहत आरोप के संबंध में भी उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

अपीलकर्ता ऋषि नाथ को भा.दं.सं. की धारा 120बी सपठित आरोप में उल्लिखित अन्य धाराओं के तहत षडयंत्र रचने का दोषी ठहराया गया और दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत आरोप के संबंध में उसे निर्दोष पाया गया और बरी कर दिया गया।

अपीलकर्ता राम सिंह को भा.दं.सं. की धारा 120बी सपठित आरोप में उल्लिखित अन्य धाराओं के तहत षडयंत्र रचने का दोषी ठहराया गया और सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। भा.दं.सं. की धारा 380 के तहत आरोप के संबंध में भी उसे दोषी ठहराया गया और एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई; दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

अपीलकर्ता बंगाली मल को भा.दं.सं. की धारा 120बी सपठित आरोप में उल्लिखित अन्य धाराओं के तहत षडयंत्र रचने का दोषी ठहराया गया और सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। भा.दं.सं. की धारा 395/397 के तहत आरोप के संबंध में, उसे दोषी ठहराते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4(ए) के तहत आरोप के संबंध में, दोषी ठहराते हुए उसे सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई; दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। भा.दं.सं. की धारा 387 सपठित धारा 109 भा.दं.सं. के तहत आरोप के संबंध में उसे दोषी ठहराया गया, लेकिन अलग से कोई सजा नहीं सुनाई गई।

अपीलकर्ता ज्वाला को षड्यंत्र के आरोप के संबंध में दोषी ठहराया गया और

दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई तथा भा.दं.सं. की धारा 395/397 के तहत उसे दोषी ठहराया गया और दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई; ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

इन सभी दोषसिद्धियों के विरुद्ध छह अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय में अपील दायर की है।

यह मामला लंबा और जटिल साबित हुआ है। सत्र न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 114 गवाहों को बुलाया गया और चार अन्य गवाहों के साक्ष्य स्वीकार किए गए। बचाव पक्ष की ओर से कम से कम 85 गवाहों से पूछताछ की गई और जैसा कि हमें बताया गया है, साक्ष्य और बहस 48 दिनों तक चली। 253 प्रदर्शों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत और साबित किया गया। हमारे समक्ष दोनों पक्षों ने इस मामले पर जोरदार ढंग से बहस की है और हम सभी संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा प्रदर्शित क्षमता और अनुकरणीय निष्पक्षता की सराहना करते हैं। अपील लंबी और कठिन थी, लेकिन पूरे मामले में हमें सभी अधिवक्ताओं से स्पष्ट रूप से यथासंभव पूर्ण सहायता प्राप्त हुई।

अभियोजन पक्ष का कहना था कि बच्चा बाबू एक खतरनाक क्रांतिकारी था और उसने अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देने और सरकार को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने में सहायता करने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। हालाँकि, इन गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए धन की कमी थी और यह आरोप कहा गया है कि बाद में इन लोगों ने हथियार और गोला-बारूद चुराने और उनके माध्यम से सशस्त्र डकैती करने के लिए एक साथ षड्यंत्र रचा ताकि उपर्युक्त क्रांतिकारी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धन प्राप्त किया जा सके। यह सुझाव दिया गया है कि धन प्राप्त करने के लिए नियोजित एक अन्य तरीका जबरन फिरौती का था और यह आरोप लगाया गया है इन विभिन्न तरीकों को अंजाम देने में आग्नेयास्त्रों और विस्फोटक पदार्थों का खुलकर इस्तेमाल किया गया और एक मामले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरे मामले में वास्तव में हत्या कर दी गई।

ऐसा कहा गया है कि इस तरह की साज़िश का संदेह कुछ समय से था और पुलिस ने अपने पास मौजूद सूचना के आधार पर 5 अगस्त 1932 को बच्चा बाबू के घर पर छापा मारा। इस घर की पहले भी दो बार तलाशी ली जा चुकी थी, लेकिन कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली थी, लेकिन इस आखिरी मौके पर शौचालय की असली और नकली छत के बीच की जगह में चालाकी से छिपाकर रखी गई एक पिस्तौल, चार रिवॉल्वर, चार चाकू, एक पैकेट में गोला-बारूद, पर्क्यूशन कैप, एक चाकू या खंजर का मूठ जिसमें ब्लेड का एक टूटा हुआ टुकड़ा लगा था और दो बोतलें मिलीं। परिसर के अन्य हिस्सों में बिस्तर में छिपाकर रखी गई एक एयर पिस्टल, तरल पदार्थ से भरी एक बड़ी बोतल, काँच के टुकड़े, दो टार्च, एक गोली और एक तस्वीर मिली, जिसमें कथित तौर पर एयर पिस्टल से निशाना लगाने के अभ्यास से छेद हो गए थे। बाद में पता चला कि बोतलों में पिक्रिक एसिड और अमोनिया था - ऐसे पदार्थ जो आपस में मिलकर एक अत्यधिक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं और प्रायः बम बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

परिसर में बच्चा बाबू, विश्व नाथ, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया, और सरजू प्रसाद नामक व्यक्ति मिले। इन व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और कोतवाली ले जाया गया और अभियोजन पक्ष के अनुसार, विश्व नाथ ने तुरंत

अपराध स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की और वहीं पुलिस के सामने बयान दिया। संभवतः उस बयान के परिणामस्वरूप ऋषि नाथ, राम सिंह और उमा शंकर को उसी दिन और शाम को लगभग 9 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उमा शंकर ने भी पुलिस के सामने बयान दिया। 7 अगस्त 1932 को बंगाली मल को गिरफ्तार कर लिया गया और 19 अगस्त 1932 को राम नाथ, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया, को आगरा में उसके अपने घर से गिरफ्तार कर लिया गया और कोतवाली पहुंचते ही उसने पुलिस के सामने बयान दिया।4 अक्टूबर 1932 को नेपाली को उसके पैतृक गांव भरान से गिरफ्तार किया गया और 16 नवंबर 1932 को ज्वाला को ग्वालियर राज्य के भिंड से गिरफ्तार किया गया। सरजू प्रसाद को बच्चा बाबू के घर से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे केवल तीन दिन हिरासत में रखा गया और फिर संभवतः सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। उमा शंकर, विश्व नाथ और राम नाथ, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की थी, को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और क्रमशः 7, 8 और 27 अगस्त को उनके बयान दर्ज किए गए। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि उमा शंकर ने 7 अगस्त को अपना बयान पूरा नहीं किया था, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि वह बहुत थका हुआ था, लेकिन अगले दिन उसने अपना बयान पूरा कर लिया।

ऐसा माना जाता है कि इन स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट हो गया कि जैसा कि आरोप लगाया गया था, वास्तव में एक षडयंत्र मौजूद था। इन स्वीकारोक्ति करने वाले अभियुक्तों ने कई ऐसे अपराधों का ज़िक्र किया जिनका उस समय तक कभी संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं हो पाया था और परिणामस्वरूप जाँच पूरी तत्परता से जारी रही। जैसा कि पहले बताया गया है, गिरफ्तारियाँ की गईं और इन पूर्व अज्ञात अपराधों से संबंधित तथ्यों की गहन जाँच की गई। ये अपराध थे:-

(1) 19 फरवरी 1931 को आगरा में अधिवक्ता श्री केहरी सिंह के घर से एक रिवॉल्वर की चोरी। जांच से पता चला कि यह रिवॉल्वर 5 अगस्त 1932 को बच्चा बाबू के घर पर छापे के दौरान मिले हथियारों में से एक था।

(2) 13 जुलाई 1931 को हकीम ज्ञान सिंह के घर से एक रिवॉल्वर की चोरी। जांच से पता चला कि यह रिवॉल्वर बच्चा बाबू के घर से बरामद हथियारों में से एक था।

(3) 14 मार्च 1932 को आगरा के गली बड़ा भाई स्थित मनोहर भगत ध्यानराम के गोदाम में डकैती हुई थी। इस असफल डकैती में पाँच-छह डकैतों ने भाग लिया और कई गोलियाँ चलाई गईं, जिनमें से एक गोली गुलज़ारी खाँ चौकीदार की बाईं जांघ में लगी। इस डकैती स्थल से गोलियाँ और कारतूस बरामद किए गए थे और आरोप है कि बाद में जाँच से पता चला कि ये गोलियाँ और कारतूस बच्चा बाबू के घर में मिले एक रिवॉल्वर से चलाई गई थीं।

(4) 1 अप्रैल 1932 को आगरा शहर के छत्ता थाने के पिछले हिस्से में एक बम फेंका गया। बच्चा बाबू के परिसर में मिली विस्फोटक सामग्री से यह अनुमान लगाया गया कि बम बनाने में संभवतः उसका इस्तेमाल किया गया होगा।

(5) 6 अप्रैल 1932 को आनंदी लाल नाम के एक व्यक्ति के घर में एक बम के साथ धमकी भरा पत्र रखा गया था। पुलिस के अनुसार, जाँच से पता चला कि टाइप किया गया यह पत्र, बंगाली मल के पिता के टाइपराइटर पर टाइप किया गया था और बंगाली मल की उस तक पहुँच थी।

(6) 13 जुलाई 1932 को आगरा के गली बड़ा भाई स्थित जमना दास के गोदाम में

एक भीषण डकैती हुई थी, जिसमें दुर्गा प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। इस डकैती में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया गया था और बाद में घटनास्थल पर गोलियां और कारतूस मिले थे। पुलिस का आरोप है कि जाँच से पता चला है कि ये गोलियां और कारतूस एक रिवॉल्वर से चलाई गई थीं, जो छापे के दौरान बच्चा बाबू के घर से बरामद हुई थी।

इन विभिन्न अपराधों की जाँच और सरकारी गवाहों के बयानों के परिणामस्वरूप, पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुँची कि ये कोई पृथक/स्वतंत्र अपराध नहीं थे, बल्कि किसी समझौते या षडयंत्र के तहत किए गए होंगे और इसके फलस्वरूप, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 120बी के अंतर्गत षडयंत्र का आरोप लगाया गया जिन्हें, अन्य लोगों के साथ, अपराध स्वीकार करने वाले उन अभियुक्तों द्वारा फंसाया गया था जो बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। षडयंत्र के इस आरोप को सिद्ध न कर पाने की स्थिति में, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध उन विभिन्न अपराधों के संबंध में आरोप लगाया गया, जिनमें ऐसा आरोप लगाया गया कि उनकी भागीदारी थी।

आपराधिक षडयंत्र का आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य या किसी ऐसे कार्य को करने या करवाने के लिए हुई सहमति को सिद्ध करना होगा जो अवैध नहीं है किन्तु अवैध तरीके से किया जाता है बशर्ते कि जहाँ सहमति अपराध करने के अलावा किसी अन्य प्रकार का हो, वहाँ अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि सहमति के अनुसरण में एक या अधिक पक्षों द्वारा सहमति के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य भी किया गया था। अतः जहाँ सहमति किसी ऐसे कार्य को करने या करवाने के लिए है जो स्वयं एक अपराध है, वहाँ किसी प्रत्यक्ष कार्य, अर्थात् सहमति के अनुसरण में उसके किसी पक्ष द्वारा किया गया कोई भी कार्य, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है; ऐसी सहमति के सिद्ध हो जाने पर आपराधिक षडयंत्र का अपराध सिद्ध हो जाता है।

वर्तमान मामले में आरोपित षड्यंत्र गंभीर अपराधों की एक श्रृंखला को अंजाम देने का है और इसलिए अपीलकर्ताओं के बीच इस तरह की सहमति का सबूत मात्र ही दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। इस आरोप में अपीलकर्ताओं या उनमें से किसी के द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्यों का सबूत अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह साक्ष्य कि अपीलकर्ता या उनमें से कुछ कथित प्रत्यक्ष कृत्यों में शामिल थे, यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा कि उनके बीच वास्तव में कथित सहमति थी। यद्यपि इस मामले में प्रत्यक्ष कृत्यों का साक्ष्य आवश्यक नहीं है, फिर भी यह संभव है कि यदि ऐसे कृत्य साबित हो जाते हैं, तो न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य होगा कि वे असंबद्ध और पृथक कृत्य नहीं हैं, बल्कि जैसा कि आरोप लगाया गया है कि ये ऐसे कृत्य हैं जो अपीलकर्ताओं के बीच हुई किसी सहमति के अनुसरण में किए गए होंगे।

अपीलकर्ताओं के खिलाफ षड्यंत्र के मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से तीन सहयोगियों विश्व नाथ पी.डब्ल्यू.2, राम नाथ पी.डब्ल्यू.3 और उमा शंकर पी.डब्ल्यू.4 के साक्ष्य का अवलंब लिया, जो मामले में सरकारी गवाह बन गए। भारत में ऐसा कोई कानून का नियम नहीं है जो किसी अदालत को किसी सरकारी

गवाह के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराने से रोकता हो, लेकिन इंग्लैंड में कई वर्षों से चली आ रही प्रथा को अपनाते हुए इस देश में कोई भी अदालत किसी आरोपी व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषी नहीं ठहराएगी जब तक कि उसकी पुष्टि किसी स्वतंत्र गवाही से न हो जाए। अंग्रेजी प्रथा के इस अत्यन्त लाभकारी नियम के कारण न्यायालय द्वारा प्रख्यात रेक्स बनाम बास्करविले (1916 2 के.बी., पृ.658) मामले में दिए गए थे और ये कारण यदि अधिक नहीं, तो समान बल के साथ भारत में मौजूद परिस्थितियों के आलोक में हमारे फैसले पर लागू होते हैं। हाल के भारतीय निर्णयों में, सरकारी गवाह के साक्ष्य की पुष्टि की आवश्यकता पर बार-बार ज़ोर दिया गया है और यह व्यवहारिक नियम अब भारत में, हालाँकि संभवतः इंग्लैंड में नहीं, न्यायालयों पर विधि के नियम के समान बाध्यकारी हो गया है। ऐसा नियम विशेष रूप से अपराध करने के लिए षडयंत्र के मामलों में आवश्यक है, जहाँ आपराधिक षडयंत्र का अपराध उसी क्षण स्थापित हो जाता है जब अभियुक्तों के बीच ऐसे अपराध करने के लिए सहमति सिद्ध हो जाती है। मात्र सहमति का साक्ष्य आसानी से गढ़ा या निर्मित किया जा सकता है, इसलिए पुष्टि के रूप में स्वतंत्र गवाही की आवश्यकता स्पष्ट रूप से आवश्यक है।

पूर्व में उद्धृत रेक्स बनाम बास्करविले मामले में, इंग्लैंड की आपराधिक अपील अदालत ने इस बात पर विचार किया था कि किस साक्ष्य को उचित रूप से पुष्टिकरण माना जा सकता है और किसको नहीं। उस मामले में, जिसका इस और भारत की अन्य अदालतों द्वारा कई बार अनुसरण और अनुमोदन किया गया है, यह प्रतिपादित किया गया था कि पुष्टिकरण साक्ष्य स्वतंत्र साक्ष्य होना चाहिए जो अभियुक्त को अपराध से जोड़ता हो या जोड़ने की ओर प्रवृत्त हो। पुष्टिकरण के लिए साक्ष्य को अभियुक्त को आरोपित करना होगा, अर्थात उसे किसी सारवान विवरण के साथ न केवल सह-अपराधी या अनुमोदक के इस साक्ष्य की पुष्टि करनी होगी कि अपराध किया गया है, बल्कि इस बात की भी पुष्टि करनी होगी कि अभियुक्त ने अपराध किया है। पुष्टिकरण साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होना आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है; यदि वह केवल परिस्थितिजन्य रूप से उसे अपराध से जोड़ता है, तो वह पर्याप्त है। यह ऐसा साक्ष्य होना चाहिए जो यह दर्शाता हो या दर्शाने की ओर प्रवृत्त हो कि अभियुक्त को आरोपित करने वाला सरकारी गवाह का साक्ष्य सत्य है; यह किसी सारवान विवरण या सारवान विवरणों के आधार पर स्वतंत्र साक्ष्य होना चाहिए जो न्यायालय को अभियुक्त को आरोपित करने वाले सरकारी गवाह के साक्ष्य की सत्यता को प्रदर्शित करे। पुष्टिकरण के लिए साक्ष्य का स्वतंत्र गवाही होना आवश्यक है और इसलिए एक सरकारी गवाह का साक्ष्य दूसरे सरकारी गवाह के साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो सकता। यह तथ्य कि गवाह एक सरकारी गवाह है, न्यायालय के मन में संदेह पैदा करता है और यह संदेह केवल दूसरे सरकारी गवाह को बुलाकर दूर नहीं किया जा सकता। यह मानना कि एक सरकारी गवाह दूसरे सरकारी गवाह की पुष्टि कर सकता है, इस लाभकारी नियम को समाप्त कर देगा कि ऐसे साक्ष्य की पुष्टि के लिए स्वतंत्र गवाही आवश्यक है और इस मामले में क्राउन ने वास्तव में इसे स्वीकार किया है। शासकीय अधिवक्ता ने अपनी सामान्य स्पष्टवादिता के साथ स्वीकार किया कि वह हमसे तब तक अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने की माँग नहीं कर सकते जब तक कि इन तीनों सरकारी गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि अन्य गवाहों द्वारा न की जाए जो स्वयं कथित षडयंत्र में शामिल न रहे हों। इसलिए, वर्तमान मामले में, न्यायालय तीनों सरकारी गवाहों के साक्ष्य के आधार पर षडयंत्र के आरोप या किसी अन्य आरोप में दोषी नहीं ठहरा सकता, जब तक कि किसी सारवान विवरण या सारवान विवरणों के आधार पर स्वतंत्र

गवाही न हो, जो हमारे निर्णय में यह दर्शाता हो कि सरकारी गवाहों द्वारा अभियुक्तों का षडयंत्र में शामिल होने या उनके विरुद्ध आरोपित अन्य अपराधों में शामिल होने का साक्ष्य सत्य है।

तथापि, अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि इस मामले में पहले से ही पर्याप्त स्वतंत्र साक्ष्य मौजूद थे, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियुक्तों को विभिन्न अपराधों में फंसाते समय, जिनका आरोप उन पर लगाया गया था, सरकारी गवाह सच बोल रहे थे।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर विस्तार से विचार करना सुविधाजनक होगा।

प्रत्येक सरकारी गवाह के साक्ष्य पर चर्चा करने से पहले, इस स्तर पर उन तीनों के साक्ष्य पर कुछ सामान्य टिप्पणियां करना सुविधाजनक होगा।

तीनों ने अपराध स्वीकार करने की अत्यंत असाधारण और तत्काल इच्छा प्रदर्शित की और यह विश्वास करना कठिन है कि ऐसी इच्छा वास्तविक थी। विश्व नाथ, जिसे 5 अगस्त 1932 को बच्चा बाबू के घर पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था, ने उसी शाम पुलिस के सामने बयान दिया और यद्यपि उस बयान के शब्द हमारे सामने नहीं थे, हम सुरक्षित रूप से यह मान सकते हैं कि यह अपराध स्वीकारोक्ति की प्रकृति के अनुरूप था, क्योंकि उसे 8 अगस्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसका इकबालिया बयान दर्ज किया गया। उमा शंकर को 5 अगस्त 1932 के दिन ही बाद में गिरफ्तार किया गया और उसने भी उसी शाम बयान दिया। उसका इकबालिया बयान 7 और 8 अगस्त को दर्ज किया गया। अतः यह दिखता है कि छापे के तीन दिनों के भीतर, जिसने षड्यंत्र के इस आरोप को जन्म दिया, दो अभियुक्तों ने वास्तव में मजिस्ट्रेट के सामने अपराध स्वीकार कर लिया था।

रामनाथ को 19 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उसने कोतवाली पहुँचते ही बयान दिया था, और उसका इकबालिया बयान 27 अगस्त को एक मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया। इसके अलावा, यह भी स्वीकार किया गया है कि जेल रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि में इन तीनों व्यक्तियों को शुरू से ही सरकारी गवाह बताया गया था, और इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण कभी नहीं मिला कि यह प्रविष्टि कैसे हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि शुरू से ही इन व्यक्तियों को सरकारी गवाह माना गया था, और इसलिए, बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया कि ये तीनों व्यक्ति पुलिस के औजार थे और पुलिस के जासूसों से ज़्यादा कुछ नहीं थे। पुनश्च, शुरू से ही इन तीनों सरकारी गवाहों के साथ अन्य सह-अभियुक्तों से अलग व्यवहार किया गया। साक्ष्य में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी भी दूसरों की तरह बेड़ियाँ नहीं पहनी थीं, और अपीलकर्ताओं को जेल भेजने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट ने उनके अधिवक्ता के अनुरोध पर यह भी नोट किया कि सरकारी गवाह अदालत में अच्छे कपड़े पहने और सज-धज कर आए थे और उनकी हालत अन्य अपीलकर्ताओं से बिल्कुल अलग थी। नोट के अनुसार, उमा शंकर ने वास्तव में अपने कोट में एक फूल पहना हुआ था, जबकि अन्य अभियुक्तों ने बेड़ियाँ पहनी हुई थीं। यह निस्संदेह पक्षपातपूर्ण व्यवहार हमारे मन में गंभीर संदेह पैदा करता है, और हालाँकि बचाव पक्ष ने हमें इस बात से संतुष्ट नहीं किया है कि

ये सरकारी गवाह जासूस या मुखबिर के अलावा कुछ नहीं थे, फिर भी अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तरह के सुझाव के लिए अभियोजन पक्ष स्वयं दोषी है। हमें अभियोजन पक्ष के इस आचरण पर अपनी असहमति व्यक्त करनी चाहिए।

इसके अलावा, यह अभिलेख में दर्ज है कि रामनाथ की गिरफ्तारी का वारंट वास्तव में 11 अगस्त 1932 को जारी किया गया था; जबकि उसे 19 अगस्त को आगरा शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके घर पर गिरफ्तार किया गया था। रामनाथ वारंट की तामील न होने की व्याख्या यह कहकर करता है कि छापे के बाद वह अपने घर से नीमच भाग गया था। हालाँकि, जिरह में वह यह नहीं बता पाया कि वह किसके साथ रुका था या उसका कथित मेज़बान उसका कोई दोस्त का रिश्तेदार था या नहीं। संक्षेप में, वह नीमच में अपने प्रवास के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया, और हम उसके इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकते कि वह कभी नीमच में रुका था या वास्तव में कभी अपना घर छोड़कर गया था। अतः, यह निष्कर्ष निकलता है कि वारंट की तामील न करना और 19 अगस्त तक रामनाथ को गिरफ्तार न करना पूरी तरह से अस्पष्ट है, और यह देरी और कोतवाली पहुँचते ही अपराध स्वीकार करने की तीव्र इच्छा, हमारे मन में इस इकबालिया बयान की स्वैच्छिक प्रकृति और प्रामाणिकता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है। अगर रामनाथ, जिसे उमाशंकर द्वारा फंसाया गया था, आगरा छोड़कर न भागता, तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकती थी। उसे गिरफ्तार न किया जाना इस बात का संकेत है कि उसका किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

पुनश्च, तीनों सरकारी गवाह अपराध स्वीकार करने का एक ही कारण बताते हैं, अर्थात् सत्य बोलने और अपने पापों का प्रायश्चित करने की इच्छा, यह एक ऐसा स्पष्टीकरण है जिस पर इस मामले की परिस्थितियों में विश्वास करना हमारे लिए असंभव है।

इन इकबालिया बयानों में एक और असाधारण विशेषता है जो इन्हें सरसरी तौर पर पढ़ने पर किसी को भी स्पष्ट हो जाती है। प्रत्येक मामले में इकबालिया बयान की सामान्य योजना और क्रम एक जैसा है। प्रत्येक इकबालिया बयान उनके बचपन, बाल्यावस्था और प्रारंभिक शिक्षा के इतिहास से शुरू होती है। फिर प्रत्येक में यह वर्णन किया गया है कि कैसे उनकी राजनीति में रुचि पैदा हुई और बाद में वे क्रांतिकारी राजनीति में कैसे शामिल हुए। इसके बाद बच्चा बाबू से उनके परिचय का विवरण और फिर षड्यंत्र में उनकी और अन्य लोगों की भूमिका का पूरा विवरण दिया गया है। यह समझना मुश्किल है कि कैसे तीन साधारण शिक्षा प्राप्त युवकों ने एक-दूसरे से स्वतंत्र होकर ठीक उसी क्रम में, ठीक उसी तरीके से विस्तृत इकबालिया बयान दिए। इन इकबालिया बयानों की सामान्य योजना और क्रम में समानता आश्चर्यजनक है, और हम यह नहीं मान सकते कि यह महज एक संयोग है। हमारे विचार से, इकबालिया बयान देने वाले इन तीनों अभियुक्तों को कोई अन्य ही निर्देशित कर रहा था और प्रत्येक द्वारा अपनाई गई तथ्यों की सामान्य योजना और क्रम उसी निर्देश देने वाले के मन की उपज थी, न कि सरकारी गवाहों के मन की। तीनों इकबालिया बयानों को दर्ज करने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई सुझाव नहीं दिया गया है, और इसलिए, हमारे विचार से, यह अनुमान अपरिहार्य है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने से पहले किसी ने गवाहों को सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया था।

उमा शंकर और राम नाथ के इकबालिया बयानों की तुलना करने पर और भी चिंताजनक बातें सामने आती हैं। ऐसा लगता है कि उमा शंकर द्वारा छोड़ी गई खामियों को राम नाथ ने बड़ी सावधानी से भर दिया था, जिसका इकबालिया बयान लगभग तीन हफ़्ते बाद दर्ज किया गया था। लेकिन इन बातों पर चर्चा तब ज़्यादा सुविधाजनक होगी जब हम हर एक सरकारी गवाह की गवाही पर गौर करेंगे। इकबालिया बयान देने वाला पहला सरकारी गवाह उमा शंकर था, इसलिए पहले उसकी गवाही पर गौर करना उचित होगा।

उमा शंकर, पी.डब्लू. 4, ने विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया और यदि वह साक्ष्य सत्य है, तो यह निर्णायक रूप से सिद्ध करता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित एक षडयंत्र विद्यमान था और सभी अपीलकर्ता उसमें शामिल थे। उसके अनुसार, 1931 में एक मित्र चंदका प्रकाश के माध्यम से उसकी क्रांतिकारी राजनीति में रुचि उत्पन्न हुई, जिसने बाद में उसका परिचय बच्चा बाबू से कराया। इस परिचय की तिथि अनिश्चित है, लेकिन यह निश्चित रूप से फरवरी 1932 से पहले की बात है, क्योंकि उस महीने उसने हीवेट पार्क में हुई एक बैठक का उल्लेख किया था, जिसमें बच्चा बाबू, बंगाली मल, राम सिंह, ज्वाला और अन्य लोग, जो अदालत में नहीं हैं; उपस्थित थे। हालाँकि चंदका प्रकाश ने उसका परिचय बच्चा बाबू से कराया था, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उमा शंकर या षडयंत्र में कोई रुचि नहीं ली। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इसे पूरी तरह से छोड़ दिया था। उमा शंकर कहता है कि बच्चा बाबू से परिचय के बाद वह उससे अक्सर कभी अकेले में और कभी दूसरों की उपस्थिति में मिलता था। क्रांतिकारी राजनीति पर चर्चा होती थी और बच्चा बाबू ने उससे कहा था कि चूँकि उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए धन या मूल्यवान वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए उन्हें डकैती करनी पड़ती थी। उसने यह भी कहा कि छत्ता थाने के थानेदार जैसे अपने विरोधियों को आतंकित करना ज़रूरी था। गवाह ने बताया कि पूर्व में उद्धृत हीवेट पार्क में हुई बैठक में, धन प्राप्ति हेतु आगरा शहर के गली बड़ा भाई में एक चीनी व्यापारी के घर डकैती डालने पर सहमति बनी थी, और बच्चा ने सुझाव दिया था कि डकैती से प्राप्त धन का आधा हिस्सा क्रांतिकारी पार्टी के कोष में दिया जाए और आधा अपने पास रखा जाए। कुछ दिनों बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो गया और मार्च के अंत में लौटने पर उसने बच्चा से सुना कि गली बड़ा भाई में डकैती हुई थी और बंगाली मल, राम सिंह और ज्वाला ने इसमें भाग लिया था और एक नौकर के पैर में चोट लगी थी। अभियोजन पक्ष द्वारा यह सुझाव नहीं दिया गया कि बच्चा बाबू इस डकैती के समय मौजूद था, फिर भी इस गवाह ने अपने इकबालिया बयान और साक्ष्य में कहा कि बच्चा बाबू ने खुद उसे न केवल यह बताया था कि वह मौजूद था, बल्कि यह भी कि उसने डकैती के दौरान रिवॉल्वर से गोली भी चलाई थी।

दिल्ली से लौटने के बाद गवाह ने कहा कि राम सिंह ने उसे रिवॉल्वर चलाना सिखाया था और बच्चा के घर में अक्सर एयर पिस्टल से निशाना साधने का अभ्यास होता था, जिसमें अलमारी में रखी कोई तस्वीर या कैलेंडर निशाना होता था। उसने बताया कि इसी दौरान उसकी पहली मुलाकात नेपाली से हुई थी और उसने बताया कि समय-समय पर सभी अपीलकर्ता बच्चा के घर पर मौजूद रहते थे। अपने इकबालिया बयान और साक्ष्य में उसने कहा कि बच्चा बाबू ने उसे बताया था कि बंगाली मल, नेपाली और नेक राम नामक एक व्यक्ति ने छत्ता थाने पर बम फेंका था और उसने यह भी बताया कि उसने बच्चा बाबू द्वारा दाऊ दयाल (जो फरार है) को

बम और पत्र देते हुए देखा था, जिसे आनंदी लाल के घर के सामने रखने के निर्देश थे। उसने बताया कि पत्र बंगाली मल के घर में टाइपराइटर पर टाइप किया गया था। उसी दिन बाद में उसने कहा कि उसने सुना है कि बम और पत्र आनंदी लाल के घर पर रखे गए थे और वहीं मिले थे। इस गवाह ने आगे कहा कि राम सिंह ने उसे एक रिवॉल्वर दिखाई, जिसके बारे में उसने कहा कि उसने उसे एक राजा नामक व्यक्ति से चुराया था जो उसके चाचा के घर पर रह रहा था। उसने अपने इकबालिया बयान में भी इस बात का ज़िक्र किया था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसने ऐसा 7 अगस्त को नहीं, बल्कि 8 अगस्त को किया था, जब उसका इकबालिया बयान फिर से दर्ज किया जाने लगा। उस समय तक बच्चा के घर से मिली रिवॉल्वर की पहचान संभवतः राम नाथ के चाचा के घर से चुराई गई रिवॉल्वर के रूप में हो चुकी थी, और इसी वजह से इस बयान को कोई महत्व देना मुश्किल है। इसके बाद गवाह ने 13 जुलाई 1932 को जमना दास के घर हुई डकैती का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें दुर्गा प्रसाद की मौत हो गई थी। पिछली शाम इस डकैती को अंजाम देने का एक असफल प्रयास किया गया था, जिसमें राम सिंह, बंगाली मल, ऋषि नाथ, राम नाथ, गवाह और अन्य लोग, जो अदालत में नहीं हैं; ने हिस्सा लिया था। उसने बताया कि रास्ते में उन्हें एक महिला ने देख लिया था और वे डरकर डकैती करने से पहले ही वापस लौट आए। उसने बताया कि कैसे बच्चा बाबू ने उन्हें फटकार लगाई और कहा कि इस कारनामे को अंजाम देने के लिए नेपाली को बुलाया जाना चाहिए। नेपाली को बुलाया गया और अगली रात, 13 जुलाई 1932 को डकैती हुई। बच्चा और ज्वाला को छोड़कर सभी अपीलकर्ता, गवाह, राम नाथ, दाऊ दयाल और हरि हर, वहाँ मौजूद थे। उसने बताया कि सब लोग बच्चा बाबू के घर पर मिले और बच्चा ने उन्हें हथियार सौंपे। उसने बताया कि कैसे डकैत दो समूहों में बँट गए और अलग-अलग रास्ते अपनाते हुए जमना दास के गोदाम के पास मिले। परिसर में प्रवेश करने से पहले हरि हर डर गया और राम सिंह ने उसे दी गई पिस्तौल छीनकर गवाह को दे दी। फिर परिसर में प्रवेश किया गया और समूह के विभिन्न सदस्यों की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। ऋषि नाथ मुख्य द्वार पर खड़ा था जबकि बंगाली बिजली की रोशनी में खड़ा था। बाकी लोग परिसर में दाखिल हुए और रामनाथ, जो एक चाकू लिए हुए था, ने किसी पर चाकू फेंका। चाकू निशाने से चूक गया और दीवार पर लगकर ब्लेड के टुकड़े-टुकड़े हो गए। अन्तःवासियों से पैसे छीन लिए गए और जब दुर्गा प्रसाद भागने की कोशिश कर रहा था, तो नेपाली ने गोली चलाकर उसे मार डाला। कई गोलियाँ चलीं और कुछ ही देर में डकैत डर गए और जल्दी से परिसर से पीछे हटकर बच्चा के घर लौट आए, जहाँ बच्चा ने हथियार जमा किए। अपने साक्ष्य में, गवाह ने उल्लेख किया है कि डकैती स्थल तक जाते समय और अपराध करने के बाद वापस लौटते समय कई लोगों से मुलाकात हुई थी, और बाद में यह देखा जाएगा कि ऐसे लोगों को डकैतों की पहचान करने के लिए बुलाया गया था ताकि सरकारी गवाहों के बयान की पुष्टि की जा सके।

इस गवाह ने अपनी गवाही में सरकारी गवाह विश्वनाथ का भी ज़िक्र किया और कहा कि हथियारों की मरम्मत और गोला-बारूद बनाने का काम इसी ने किया था। उसने यह भी बताया कि बच्चा के परिसर में मिले अमोनिया और पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल बम बनाने में किया गया था।

इस गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज लिखित इकबालिया बयान की जाँच करने पर यह पाया जा सकता है कि दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। साक्ष्य में महत्वपूर्ण विवरण जोड़े गए थे और यह देखा जा सकता है कि जिस पुष्टिकरण पर

भरोसा किया गया है, वह उन कुछ विवरणों से संबंधित साक्ष्य है जिनका उल्लेख इकबालिया बयान में नहीं किया गया था। इकबालिया बयान को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि ऐसे गवाहों का कोई सुराग नहीं दिया गया है जो इसकी पुष्टि कर सकें, लेकिन इस गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य को पढ़ने पर ऐसे कई लोगों के अस्तित्व का पता चलता है जिनका पता लगाया जा सकता है और जिन्हें गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है। बाद में यह देखा जा सकता है कि इस गवाह के साक्ष्य में, जो कि उसके इकबालिया बयान में नहीं था, उल्लिखित विवरण गवाह के इकबालिया बयान से लगभग तीन सप्ताह बाद दिए गए राम नाथ द्वारा अपने इकबालिया बयान में सबसे पहले उल्लिखित किए गए थे। पूर्वोक्त राम नाथ की गिरफ्तारी में हुई देरी के असंतोषजनक स्पष्टीकरण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पुष्टिकरण योग्य महत्वपूर्ण विवरण पहले उसके इकबालिया बयान में और फिर इस गवाह के साक्ष्य में सामने आए, हमारे लिए यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि ये कथन सत्य और वास्तविक हैं। इसके अलावा, उमा शंकर ने अपने इकबालिया बयान में यह नहीं बताया कि डकैती स्थल पर आते-जाते समय उसने किसी व्यक्ति को देखा था, फिर भी उसने गवाही में कई ऐसे व्यक्तियों को देखने की बात कही। जिन व्यक्तियों का उसने अपनी गवाही में ज़िक्र किया, वे वही थे जिनका ज़िक्र रामनाथ ने इस गवाह के इकबालिया बयान के तीन हफ़्ते बाद पहली बार किया था।

अपने साक्ष्य में इस गवाह ने जमना दास के गोदाम में डकैती के पहले प्रयास में आठ लोगों के शामिल होने का ज़िक्र किया; जबकि उसके इकबालिया बयान में सात लोगों का ज़िक्र है और उनके नाम भी दिए गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि रामनाथ ने अपने इकबालिया बयान में आठ लोगों का ज़िक्र किया है, अर्थात् उमा शंकर ने अपने इकबालिया बयान में जिन सात लोगों का ज़िक्र किया था, और एक अजनबी का भी ज़िक्र किया है जिसे ऋषिनाथ अपने साथ लाया था। उमा शंकर ने अपने साक्ष्य में इस विसंगति को यह कहकर स्पष्ट किया कि चूँकि वह इस अजनबी व्यक्ति का नाम नहीं जानता था, इसलिए उसने उसे समूह के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया, जो कि पहली नज़र में बेहद असंतोषजनक है। उसके साक्ष्य के अनुसार, यही अजनबी व्यक्ति उस महिला को देखकर डर गया था और जिसने समूह को जमना दास के गोदाम पहुँचने से पहले ही वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। उसने साक्ष्य में आगे कहा कि समूह के आचरण से बच्चा बाबू बहुत नाराज़ हुआ था, जिसने ऋषिनाथ को इस डरपोक अजनबी को अपने साथ लाने के लिए फटकार लगाई थी और उसे दोबारा न लाने को कहा था और फिर घोषणा की थी कि नेपाली को बुलाया जाए। यह सब उसने अपनी गवाही में कहा, फिर भी स्वीकारोक्ति में उस अजनबी के बारे में एक शब्द भी नहीं है। यह एक चौंकाने वाली घटना है और यह बेहद अजीब है कि जब वह विद्वान मजिस्ट्रेट के सामने गया तो इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना का ज़िक्र सबसे पहले रामनाथ ने तीन हफ़्ते बाद अपने इकबालिया बयान में किया और फिर उमा शंकर द्वारा दिए गए साक्ष्य में इसका प्रत्येक विवरण शामिल किया गया।

पेपर-बुक के पृष्ठ 151 पर यह देखा जा सकता है कि उमा शंकर ने अपनी गवाही में जून 1932 में गली बारह भाई आगरा में हुई एक और डकैती की कोशिश का ज़िक्र किया था, जो हेवेट पार्क में हुई एक बैठक के बाद हुई थी जहाँ इस घटना के विवरण पर चर्चा हुई थी। इस डकैती के लिए जाते समय, रास्ते में गवाह उमराव, पी.डब्लू. 45 मिला

था, और बाद में अभियोजन पक्ष ने उमा शंकर की गवाही की पुष्टि के लिए इस गवाह को बुलाया था, फिर भी इकबालिया बयान में इस मुलाकात, डकैती की कोशिश या गवाह उमराव से मुलाक़ात का कोई ज़िक्र नहीं है।

अपने इकबालिया बयान और साक्ष्य में उमा शंकर ने कहा कि3 जुलाई 1932 को डकैत सबसे पहले बच्चा बाबू के घर पर मिले थे और फिर दो समूहों में बंट गए और डकैती स्थल पर अलग-अलग रास्तों से पहुँचे। यह देखा जा सकता है कि रामनाथ भी यही कहता है, लेकिन जिन गवाहों को यह कहने के लिए बुलाया गया था कि उन्होंने उस रात कुछ अपीलकर्ताओं को देखा था, उन सभी का कहना है कि उन्होंने सात या आठ लोगों के एक समूह को एक साथ आगे बढ़ते देखा था। बच्चा बाबू के घर से निकले डकैतों की संख्या आठ थी और वे दो समूहों में बंट गए थे। यह समझना मुश्किल है कि अलग-अलग जगहों पर मौजूद गवाहों ने उन सभी को एक साथ कैसे देखा होगा। सरकारी गवाहों के अनुसार,(अस्पष्ट) अलग-अलग रास्तों से गए और बच्चा बाबू के घर और जमना दास के गोदाम के बाहर के अलावा कहीं एक साथ नहीं थे। हालाँकि, पुष्टि के लिए बुलाए गए गवाहों का कहना कुछ और ही है।

उसके इकबालिया बयान और साक्ष्य के बीच इन विरोधाभासों और इकबालिया बयान में बताए गए तथ्यों में स्पष्ट वृद्धि को देखते हुए, हम इस गवाह को विश्वसनीय, सत्य या विश्वास के योग्य नहीं मान सकते। पुष्टिकरण के रूप में बहुत ही ठोस, विश्वसनीय और आश्वस्तकारी साक्ष्य के बिना, उसके साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराना असंभव है।

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, रामनाथ पी.डब्लू.3 ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद बयान दिया और 27 अगस्त को विद्वान मजिस्ट्रेट के सामने उसका इकबालिया बयान दर्ज किया गया। अगर उसकी बात पर विश्वास किया जाए, तो यह समझना मुश्किल है कि यह इकबालिया बयान कैसे दर्ज किया गया, क्योंकि उसके साक्ष्य के अनुसार, उसने ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया था कि वह कबूल करना चाहता है- यह कथन हमें स्पष्ट रूप से झूठा प्रतीत होता है।

उसके इकबालिया बयान का क्रम ठीक वैसा ही है जैसे उमाशंकर का था। उसने बताया कि ऋषि नाथ के कारण ही सर्वप्रथम उसकी रुचि क्रांतिकारी राजनीति में हुई और उसी ने मई 1932 में उसका परिचय बच्चा से कराया। कुछ ही दिनों में वह क्रांतिकारियों के उस दल में शामिल हो गया जिसका बच्चा एक स्वीकृत नेता था। उसने बताया कि उसे शपथ लेनी पड़ी कि वह तन, मन और धन से क्रांतिकारी दल की सेवा करेगा, नेताओं की आज्ञा का पालन करेगा और मृत्यु के भय के कारण भी कोई रहस्य उजागर नहीं करेगा। यदि ऐसी शपथ कभी दिलाई गई थी तो भी यह बहुत प्रभावी नहीं लगती क्योंकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसने पुलिस को बयान दिया, जिसमें उसने न केवल षडयंत्र के रहस्यों का बल्कि उसके सदस्यों का भी खुलासा किया। इस गवाह ने अपनी गवाही में दल के उद्देश्यों का उल्लेख किया, जो थे- इस बात का खुलासा न करना कि हथियार और धन कहाँ रखे हैं, धन के लिए डकैती डालना, जबरन फिरौती से धन उगाही करना, हिंसा के द्वारा सरकार को परेशान करना, यानी रिवाल्वर और बम से सरकारी अधिकारियों और सरकार के समर्थकों की हत्या करना। षड्यंत्रकारियों के इस गिरोह में उसने ज्वाला को छोड़कर सभी अपीलकर्ताओं के नाम लिए। उसके अनुसार दो सर्किल थे:

आंतरिक और बाहरी सर्किल। बच्चा, नेपाली, ऋषि नाथ, बंगाली मल, राम सिंह, उमा शंकर और अन्य, जो अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं है, आंतरिक सर्किल में थे, जबकि वह स्वयं बाहरी सर्किल में था। यह ध्यान देने योग्य है कि उसने उमा शंकर की तुलना में ऋषि नाथ की कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका बताई। दूसरे के अनुसार, क्रांतिकारियों के इस गिरोह की गतिविधियों में ऋषि नाथ की भूमिका अपेक्षाकृत हल्की प्रतीत होती है। लेकिन इस गवाह के अनुसार ऋषि नाथ के परिचय ने षड्यंत्र में तत्काल प्रवेश सुनिश्चित कर दिया और वह वास्तव में इसके आंतरिक सर्किल में था। राम नाथ का मई 1932 तक बच्चा बाबू से परिचय नहीं हुआ था और इसलिए उसने षड़यंत्रकारियों के गिरोह के पहले के कार्यों के बारे में बहुत कम बताया है। हालांकि, उसने कहा कि ऋषि नाथ ने उसे बताया था कि नेपाली, बंगाली मल और नेक राम ने चट्टा थाने में बम फेंका था। हालांकि, उसने जमना दास के परिसर को लूटने के दो प्रयासों के संबंध में विस्तृत साक्ष्य दिए। हमारे लिए इन कारनामों के विवरण पर विस्तार से चर्चा करना अनावश्यक है क्योंकि गवाह का साक्ष्य उमा शंकर द्वारा अदालत में दिए गए साक्ष्य के जैसा ही है। उसने सकारात्मक रूप से कहा कि जब वे 13 जुलाई 1932 को परिसर में घुसे तो नेपाली रोशनी में खड़ा था जो कि गिरोह के स्वीकृत नेता के लिए प्रमुख स्थान था। उसका साक्ष्य उसकी लिखित स्वीकारोक्ति में दिए गए बयानों के बहुत करीब है। उस स्वीकारोक्ति में उसने उल्लेख किया कि गिरोह को डकैती स्थल पर आते-जाते कई लोगों ने देखा था और, जैसा कि हमने पहले कहा है, इन व्यक्तियों के अस्तित्व का पहली बार उल्लेख उसी समय किया गया था और पुष्टिकरण के लिए गवाहों को प्रस्तुत करने का संकेत दिया गया था।

यदि इस गवाह पर विश्वास किया जाए, तो वह निर्णायक रूप से साबित करता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित षड्यंत्र विद्यमान था और ज्वाला को छोड़कर सभी अपीलकर्ता उसमें शामिल थे। वह यह भी साबित करता है कि जमना दास के गोदाम में डकैती हुई थी और अपीलकर्ता नेपाली, ऋषि नाथ, बंगाली मल और राम सिंह उस समय मौजूद थे और इस डकैती में इस्तेमाल किए गए हथियार और गोला-बारूद बच्चा बाबू ने अपने घर पर जमा किए थे। यदि उमा शंकर पर विश्वास किया जाए, तो वह भी यही तथ्य साबित करता है, लेकिन जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इन गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि आवश्यक है और एक का साक्ष्य दूसरे की पुष्टि नहीं कहा जा सकता है।

इस गवाह की अपराध स्वीकार करने की असाधारण और तत्काल इच्छा तथा उसे गिरफ्तार करने में हुई अस्पष्ट देरी को देखते हुए, हम उसके साक्ष्य को सत्य मानना कठिन पाते हैं और हम उस पर तब तक कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक कि मजबूत और विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा सारवान विवरणों में उसकी पुष्टि नहीं हो जाती।

पी.डब्लू.2 विश्व नाथ, जिसे छापे के समय बच्चा बाबू के परिसर से गिरफ्तार किया गया था और जिसने तुरंत पुलिस को बयान दिया, ने इकबालिया बयान दिया जिसे 8 अगस्त 1932 को एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया और सत्र न्यायालय में मुकदमे के दौरान उन्होंने उस इकबालिया बयान में बताए गए तथ्यों के समर्थन में साक्ष्य दिया। उसके इकबालिया बयान का क्रम वही है जो अन्य दो सरकारी गवाहों के बयान का है, हालाँकि, अगर उसके साक्ष्य पर विश्वास किया जाए, तो यह पूरी तरह से स्वेच्छा से और अभियोजन पक्ष से जुड़े किसी

भी व्यक्ति के सुझाव के बिना दिया गया था। उसने कहा कि बच्चा बाबू से उसकी पहली मुलाकात जून 1932 में हुई थी और हिंसक राजनीति में रुचि होने के कारण उसे जल्द ही इस षड्यंत्र में शामिल कर लिया गया। उसने कहा कि वह हथियारों की मरम्मत और गोला-बारूद बनाता था, और बच्चा बाबू ने ही उसे समझाया था कि क्रांतिकारी उद्देश्यों के लिए धन जुटाने हेतु डकैतियों के लिए इन हथियारों और गोला-बारूद की आवश्यकता होती है। उसने बच्चा बाबू के अलावा किसी भी अपीलकर्ता को शामिल करने वाला कोई साक्ष्य नहीं दिया, लेकिन यदि उसका साक्ष्य सत्य है, तो बच्चा बाबू और अन्य लोगों के बीच एक आपराधिक षड्यंत्र के अस्तित्व को पर्याप्त रूप से सिद्ध करता है।

हम इस गवाह के साक्ष्य को संतोषजनक नहीं मान सकते। बच्चा बाबू से अपने परिचय के बारे में उसका बयान विश्वसनीय नहीं है और बेहद असंभाव्य है। उसका परिचय हरबिलास नाम के एक व्यक्ति ने कराया था, जिसने उससे राजनीति पर चर्चा की थी और उससे एक रिवॉल्वर ठीक करने को कहा था। हालाँकि हरबिलास उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता होगा, फिर भी बच्चा बाबू ने परिचय के तुरंत बाद उसे प्रस्तावित डकैतियों के बारे में और उन्हें अंजाम देने की ज़रूरत के बारे में बताया। इसके अलावा, उसके अनुसार, बच्चा बाबू से परिचय के दो-तीन दिन के भीतर ही उसने उसे कई घर दिखाए जो डकैतियों के लिए उपयुक्त माने गए थे।

पुनश्च, यह गवाह बेहद बेपरवाह बयान देने में सक्षम प्रतीत होता है। उसने जिरह में स्वीकार किया कि उसने पहले दिए गए एक बयान में कहा था कि जमना दास की डकैती में उमाशंकर ने एक हत्या की थी। यह बात पूरी तरह मनगढ़ंत थी कि उसे ऐसा दबाव में स्वीकार करना पड़ा। उसके अपने शब्दों में कहें तो, "मैंने यह अपनी कल्पना से कहा था।" इसलिए हमें इस गवाह को सत्य मानना मुश्किल लगता है और हम उसके साक्ष्य पर तभी अमल कर सकते हैं जब उसकी पर्याप्त, ठोस और विश्वसनीय पुष्टि हो।

तीनों सरकारी गवाहों के साक्ष्य के उपरोक्त सारांश से यह स्पष्ट होता है कि तीनों ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित षडयंत्र की गवाही दी है और यह कि बच्चा बाबू उसका नेता था। उमा शंकर और राम नाथ ने आगे यह भी गवाही दी कि अपीलकर्ता नेपाली, ऋषि नाथ, बंगाली मल और राम सिंह इस षडयंत्र के सदस्य थे और उमा शंकर ने आगे कहा कि ज्वाला भी इस षडयंत्र में शामिल था। तीनों ने इस तथ्य की गवाही दी कि बच्चा बाबू अपने परिसर में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थ रखता था और ये सब डकैती और आतंकवाद के उद्देश्य से रखे गए थे। उमा शंकर और ऋषि नाथ ने स्पष्ट किया कि बच्चा बाबू ने ही इन डकैतियों की योजना बनाई और हथियार उपलब्ध कराए।

उमा शंकर और राम नाथ ने नेपाली, ऋषि नाथ, बंगाली मल और राम सिंह को 13 जुलाई 1932 को जमना दास के गोदाम में हुई डकैती में शामिल बताया। दोनों ने छत्ता थाने में हुए बम कांड में भी नेपाली और बंगाली मल को शामिल बताया, हालांकि दोनों का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने गवाही दी कि उन्हें बच्चा बाबू और साजिश के अन्य सदस्यों ने इस घटना के बारे में बताया था। उन्होंने राम सिंह को अपने चाचा हाकिम ज्ञान सिंह के घर से पिस्तौल की चोरी में भी शामिल बताया, जबकि उमा शंकर ने आगे गवाही में बताया कि बच्चा बाबू ने ही

आनंदी लाल के घर पर बम रखने का इंतजाम किया था और वास्तव में बम और टाइप किया हुआ पत्र दाऊ दयाल को दिया था, जिसने इसे वहां रखा था। उमा शंकर ने आगे बताया कि पत्र बंगाली मल द्वारा या उसकी सहायता से टाइप किया गया था।

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने एक अपीलकर्ता द्वारा अन्य अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने वाले सरकारी गवाहों के समक्ष दिए गए बयानों की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई। कुछ परिस्थितियों में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत ऐसे बयान स्वीकार्य हो सकते हैं। हालाँकि, इस मामले में कथित षडयंत्र से संबंधित साक्ष्यों के बारे में हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए यह निर्णय लेना अनावश्यक है कि ऐसा साक्ष्य ग्राह्य है या नहीं।

सरकारी गवाहों के साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के अपराध को प्रत्यक्ष रूप से या सरकारी गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि के रूप में सिद्ध करने के लिए बड़ी संख्या में गवाहों को बुलाया। क्राउन की ओर से यह तर्क दिया गया कि अकेले या सरकारी गवाहों की गवाही के साथ इस साक्ष्य को देखने से यह स्पष्ट होता है कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, षडयंत्र विद्यमान था और अपीलकर्ता उसमें भागीदार थे, और इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत अपीलकर्ता उन अपराधों के लिए दोषी थे जिनका आरोप विशेष रूप से उन पर लगाया गया था। इस साक्ष्य का उद्देश्य यह दर्शाना था कि आरोपित विभिन्न आपराधिक कृत्य एक-दूसरे से स्वतंत्र पृथक कृत्य नहीं थे, बल्कि एक-दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए थे कि यह निर्विवाद अनुमान लगाया जा सके कि ये कृत्य एक समान इरादे और उद्देश्य के अनुसरण में साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए थे। संक्षेप में, इन सभी आपराधिक कृत्यों में समान कारक थे और ये समान कारक प्रत्येक में बच्चा बाबू की और यदि सभी में नहीं तो कुछ में अन्य अपीलकर्ताओं की मिलीभगत को सिद्ध करते हैं।

इसलिए इस साक्ष्य पर विस्तार से विचार करना आवश्यक है, ताकि यह विनिश्चित किया जा सके कि क्या यह सरकारी गवाहों के साक्ष्य से बिना अपीलकर्ताओं के अपराध को स्थापित करता है, या यदि ऐसा नहीं करता है, तो क्या यह सरकारी गवाहों की गवाही की पर्याप्त पुष्टि है, जिसके आधार पर न्यायालय कार्यवाही कर सके।

यह साबित करने के लिए कई गवाहों को बुलाया गया था कि 5 अगस्त 1932 को बच्चा बाबू के घर पर छापे में भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थ मिले थे। ये गवाह थे डी.एस. पी. किशन सिंह पी.डब्लू.97, एस.आई. मोहम्मद इशाक पी.डब्लू.91, सी.आई.डी. के डी.एस.पी. एन.सी. मिश्रा पी.डब्लू.113 और एक नागरिक तलाशी गवाह लतौरी मल पी.डब्लू.95, जिन्होंने तलाशी की गवाही दी और शौचालय की असली और नकली छत के बीच की जगह में हथियार और गोला-बारूद छिपाए जाने की बात कही थी। इसके अलावा, एक गवाह बिहारी पी.डब्लू.82 ने बच्चा बाबू के निर्देश पर शौचालय की यह नकली छत बनाने और एक तख्ता ढीला छोड़ने की बात कही थी, ताकि अगर इसे हटा दिया जाए, तो इस नकली और असली छत के बीच की जगह में सामान रखा जा सके। यह सबूत स्पष्ट, ठोस और सीधा है और हमें इसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इन सभी गवाहों से लंबी और गहन जिरह की गई, लेकिन उनकी गवाही पर कोई असर

नहीं पड़ा। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ये आपत्तिजनक वस्तुएँ परिसर में पाई गईं, लेकिन अपीलकर्ता बच्चा बाबू का कहना है कि पुलिस ने उसे झूठा फँसाने के लिए ये वस्तुएँ गुप्त रूप से वहाँ रखी थीं और इसे साबित करने के लिए बच्चा बाबू की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जिन गवाहों को बुलाया गया, वे रुस्तम डी.डब्ल्यू.1, रम्मा डी.डब्ल्यू.2 और सालगा डी.डब्ल्यू.53 के थे। ये सभी गवाह बुरे चरित्र और आपराधिक प्रवृत्ति के थे और जब उनसे गवाही देने के लिए संपर्क किया गया, तब वे बच्चा बाबू के साथ उसी जेल में थे। यह तथ्य इन गवाहों की वास्तविकता और विश्वसनीयता पर हमारे मन में गंभीर संदेह पैदा करता है। हालाँकि, उन्होंने जो कहानी सुनाई, वह पूरी तरह से अविश्वसनीय थी। उनके अनुसार, उन्हें छत्ता थाने में बुलाया गया और सब-इंस्पेक्टर ने उनसे बच्चा बाबू के घर में हथियार और गोला-बारूद आदि रखने को कहा। रुस्तम ने कहा कि उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप उसे पीटा गया और बाहर निकाल दिया गया। अन्य उपस्थित लोग, अर्थात् गवाह रम्मा और साल्गा, सुरजा, बेनी, उमरा और करीम के साथ मिलकर इस नापाक काम को अंजाम देने के लिए तैयार थे और बाद में ऐसा करने के लिए निकल पड़े। रम्मा के अनुसार, रास्ते में उसकी मुलाकात उसके दादा से हुई और बिना किसी अन्य कारण के समूह छोड़कर घर चला गया। साल्गा ने बेनी, करीम और उमरा की सहायता से बच्चा बाबू के घर में सामान रखने की गवाही दी। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि साल्गा ने अपने पहले के बयान में रम्मा का उल्लेख इस कारनामे में वास्तव में सहायता करने के रूप में किया था। यदि इस मामले के बारे में उनका विवरण सत्य है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कभी यह नहीं बताया गया था कि बच्चा बाबू के घर में इन सामानों को कहाँ रखना है या काम पूरा होने पर सब इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करना है। यह हमें अविश्वसनीय लगता है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया, जिसे उन्होंने जानबूझकर झूठा माना और हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं। इन गवाहों का साक्ष्य स्पष्ट रूप से झूठा है और हमें इसे अस्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि 5 अगस्त 1932 को बच्चा बाबू के घर से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए थे, जिन्हें एक गुप्त ठिकाने में छिपाकर रखा गया था। यह ठिकाना बच्चा बाबू के निर्देश पर ही बनाया गया था। हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि ये सामान पुलिस ने वहाँ नहीं रखा था, बल्कि बच्चा बाबू के थे, जिन्हें किसी गैरकानूनी उद्देश्य से इस गुप्त ठिकाने में रखा गया था।

गवाह केहरी सिंह पी.डब्लू. 56, जोरावर सिंह पी.डब्लू. 55, गिरेंदर पी.डब्लू. 78 और एस.आई. मोहम्मद इशाक पी.डब्लू. 91 ने दिनांक 19 फरवरी 1931 को केहरी सिंह के घर से एक पिस्तौल की चोरी और 5 अगस्त 1932 को बच्चा बाबू के घर में गुप्त जगह में मिले हथियारों के बीच से इसकी बरामदगी को साबित किया। यह तथ्य कि यह पिस्तौल कथित रूप से चोरी हुई थी और बच्चा बाबू के घर में मिली थी, वास्तव में विवादित नहीं है, अपीलकर्ताओं का मानना यह है कि इसे पुलिस ने अन्य वस्तुओं के साथ वहां रखा था। गवाह कुंदन पी.डब्लू. 90 को बुलाया गया जिसने कहा कि वह बच्चा बाबू की मां का नौकर था जो उसी घर में रहती थीं। यह पिस्तौल दिखाए जाने पर उसने कहा कि उसे याद है कि बंगाली मल और मोहन लाल इसे या इसके जैसी कोई अन्य पिस्तौल बच्चा बाबू के घर लाए थे और उन्हें सौंप दी थी। हमारा मानना है कि इस गवाह की गवाही बहुत अविश्वसनीय है क्योंकि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि षड्यंत्रकारी नौकरों की मौजूदगी में खुलेआम चोरी के हथियार सौंप सकते हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस गवाह की गवाही को अतिशयोक्तिपूर्ण माना, लेकिन हम आगे कहते हैं कि हमारे विचार से यह साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और झूठा है। हालाँकि, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि यह पिस्तौल चोरी की गई थी और बच्चा बाबू के पास पहुँची थी और 5 अगस्त 1932 को उसके घर से बरामद हुई थी।

गवाह राजा दुर्विजय सिंह पी.डब्लू. 85, दिलावर पी.डब्लू. 86, महादेव शंकर पी.डब्लू. 87, गेंदा लाल पी.डब्लू. 88 और एस.आई. मोहम्मद इशाक पी.डब्लू. 91 ने दिनांक 13 जुलाई

1931 को राम सिंह के चाचा के घर से रिवाल्वर की चोरी और 5 अगस्त 1932 को बच्चा बाबू के घर से इसकी बरामदगी को साबित किया।

हम इस साक्ष्य को स्वीकार करते हैं जो हमें विश्वसनीय और सत्य प्रतीत होता है। हालाँकि, यह भी कहा गया है कि राम सिंह ने यह पिस्तौल उस समय चुराई थी जब वह चोरी के समय घर में रह रहा था। हालांकि, यह साक्ष्य अपने उच्चतम स्तर पर केवल इस बात का साक्ष्य है कि राम सिंह के पास इसे चुराने का अवसर था। इसलिए यह आरोप कि राम सिंह ने पिस्तौल चुराई थी, केवल सरकारी गवाहों के साक्ष्य द्वारा समर्थित है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि इस हथियार के मालिक राजा दुर्विजय सिंह के साथ चोरी के समय अमन सिंह था जो एक बुरे चरित्र का व्यक्ति प्रतीत होता है और जो सत्र न्यायालय में इस मुकदमे के समय किसी डकैती के सिलसिले में जेल में था। इसी व्यक्ति ने संभवतः रिवॉल्वर चुराई होगी और बाद में बच्चा बाबू को बेच दी होगी।

बच्चा बाबू के घर में छिपे गुप्त स्थान से टूटे हुए ब्लेड के टुकड़े सहित चाकू या खंजर की मुठिया की बरामदगी को साबित करने के लिए फिर से साक्ष्य मांगे गए। यह भी साबित हुआ कि डकैती के बाद जमना दास के परिसर में चाकू या खंजर के ब्लेड के टुकड़े मिले थे। यह दिखाने के लिए भी साक्ष्य मांगे गए कि जमना दास के परिसर में मिले टुकड़े और बच्चा बाबू के परिसर में मिली मुठिया से जुड़ा टूटा हुआ टुकड़ा जब एक साथ रखा गया तो बिल्कुल फिट हो गया और एक पूरा ब्लेड बन गया। हमें टूटे हुए टुकड़े के साथ मुठिया और जमना दास के परिसर में मिले टुकड़ों को देखने का लाभ मिला। एक साथ रखने पर वे निश्चित रूप से फिट हुए और एक ब्लेड बन गया, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमने जो टूटा हुआ ब्लेड देखा तो वह मुठिया से बहुत नया लग रहा था और मुठिया में एक नया ब्लेड आसानी से फिट किया जा सकता था और उसे तोड़कर मुठिया में बचा हुआ हिस्सा और जमना दास के परिसर में मिले कथित टुकड़े बनाए जा सकते थे। इसके अलावा, हमें यह अत्यधिक अविश्वसनीय लगता है कि टूटे हुए टुकड़े के साथ खंजर या चाकू की मुठिया बच्चा बाबू के किसी जानकार व्यक्ति द्वारा रखा गया होगा, जबकि वह जानता था कि यह एक डकैती में टूट गया था, जहां वास्तव में हत्या हुई थी और उसके टुकड़े अभी भी डकैती और हत्या के स्थल पर पड़े हुए थे। इस साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि जमना दास के परिसर में पाए गए टूटे हुए ब्लेड के टुकड़े वास्तव में मुठिया से जुड़े ब्लेड के टुकड़े के साथ फिट थे, जो 5 अगस्त 1932 को बच्चा बाबू के घर पर पाया गया था। हमारे सामने मौजूद साक्ष्य और मुठिया और संबंधित टुकड़ों की जांच के आधार पर हमारे फैसले में यह मानना असुरक्षित होगा कि बच्चा बाबू के घर पर पाई गयी मुठिया खंजर या चाकू की मुठिया थी, जिसका प्रयोग 13 जुलाई 1932 को जमना दास के घर पर हुई डकैती में किया गया था।

यह दिखाने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य मांगे गए कि बच्चा बाबू के परिसर में पाया गया रिवॉल्वर वास्तव में 14 मार्च 1932 और 13 जुलाई 1932 की डकैतियों में इस्तेमाल किया गया था। यह हमारी संतुष्टि के लिए साबित हुआ है कि इन डकैतियों के विषय-वस्तु दोनों परिसरों में गोलियां और खोखे पाए गए थे, लेकिन हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि यह साबित हो गया कि ये गोलियां और कारतूस एक ही रिवॉल्वर से दागे गए थे और छापे के दौरान बच्चा बाबू के परिसर में वही रिवॉल्वर पाया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया साक्ष्य श्री स्टॉट पी.डब्लू.109 का साक्ष्य है, जो दिल्ली में प्रश्नगत दस्तावेजों के परीक्षक हैं। उनके अनुसार, उन्हें गोली के शिनाख्त फोटोग्राफी में कुछ प्रशिक्षण प्राप्त है और इसलिए उन्होंने दावा किया कि वह इस विषय पर साक्ष्य देने की स्थिति में थे। आग्नेयास्त्रों के बारे में उनका अनुभव बहुत व्यापक नहीं लगता है, लेकिन यह मानते हुए भी

कि उनके पास काफी अनुभव है, हम उनके साक्ष्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस विशेष रिवॉल्वर से गोलियाँ चलाई थीं और गोलियाँ चलने के बाद गोलियों और खोखों की जाँच की। उन्होंने कहा कि गोलियों और खोखों पर उन्हें वही निशान मिले जो दोनों डकैतियों के घटनास्थल पर मिली गोलियों और खोखों पर थे। उन्होंने इसे साबित करने के लिए बड़ी संख्या में बड़े चित्र प्रस्तुत किए और अपनी राय दी कि यदि सभी नहीं तो कुछ गोलियाँ और खोखे बच्चा बाबू के घर से मिली उस विशेष रिवॉल्वर से चलाई गई थीं। हमें इस बात पर बहुत संदेह है कि क्या इस सज्जन को उचित रूप से एक विशेषज्ञ गवाह माना जा सकता है, लेकिन अगर उन्हें ऐसा माना भी जा सकता है, तो भी हम उनसे सहमत नहीं हो सकते। हमने तस्वीरें और अन्य साक्ष्य देखे हैं और हालाँकि इस रिवॉल्वर से चलाई गई गोलियों और खोखों की तस्वीरों और दोनों डकैतियों के घटनास्थल पर मिली गोलियों और खोखों की तस्वीरों में कुछ समानता है, फिर भी उनमें स्पष्ट अंतर हैं। अपने साक्ष्य में उन्होंने अपने तरीकों के अचूक होने का दावा नहीं किया है और हमारी राय में उनके द्वारा प्रयुक्त एक वाक्य उनके शेष साक्ष्य की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। उन्होंने पेपर-बुक के पृष्ठ 455 पर कहा है:

"मैंने प्रदर्श 106, 107 और 108 की जांच की और मेरी राय है कि प्रदर्श 107 और 108 को प्रदर्श 17 पिस्तौल से चलाया गया था। इसके अलावा यह भी संभावना है कि प्रदर्श 106 को उसी हथियार से चलाया गया था, लेकिन मैं आश्वस्त नहीं हूँ।"

हमारे विचार से, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में कोई निश्चितता नहीं है। एक ही हथियार से दागे गए कारतूसों और गोलियों पर एक जैसे निशान हो भी सकते हैं और नहीं भी, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक ही आकार और बनावट के दूसरे हथियारों से दागे गए कारतूसों पर एक जैसे या बहुत मिलते-जुलते निशान न हों। जिस क्षण यह स्वीकार कर लिया जाता है कि इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि एक ही रिवॉल्वर से चलाई गई गोलियों और खोखों पर निशान एक जैसे होंगे, तो इस प्रकार के साक्ष्य का महत्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। मामले के इस भाग से जुड़े संबंधित साक्ष्यों को देखने के बाद हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि इन दो डकैतियों के दौरान गोलियां उस रिवॉल्वर से चलाई गई थीं, जो बच्चा बाबू के परिसर पर छापेमारी के दौरान बरामद की गई थी।

श्री स्टॉट ने यह दिखाने के उद्देश्य से भी साक्ष्य दिया कि 6 अप्रैल 1932 को आनंदी लाल के घर पर बम के साथ मिला पत्र एक टाइपराइटिंग मशीन पर टाइप किया गया था, जो बंगाली मल के पिता के कब्जे में साबित हुई थी और जिस तक बंगाली मल की पहुंच थी। इस तरह के साक्ष्य को विशेषज्ञ साक्ष्य नहीं माना जा सकता है जब इसे प्रसिद्ध मेरठ षडयंत्र केस- झाबवाला और अन्य बनाम किंग एम्परर (1933 एएलजे पृ.799 और एआईआर 1933 इलाहाबाद, पृ.690) में निर्धारित किया गया है - कि एक विशेषज्ञ की राय कि किसी दस्तावेज को उसी मशीन पर टाइप किया गया है जिस पर दूसरा दस्तावेज टाइप किया गया है, तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय गवाह से इस दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क पूछ सकता है कि क्या दोनों दस्तावेज एक ही मशीन पर टाइप किए गए हैं या नहीं, हमने बम के साथ रखे गए मूल पत्र और इस टाइपराइटिंग मशीन पर टाइप किए गए पत्रों को मंगवाया और देखा। इसके अलावा, हमने अपनी उपस्थिति में इस

मशीन पर वर्णमाला के विभिन्न अक्षरों को टाइप करवाया और उनकी जाँच की और बम के साथ रखे गए पत्र से उनकी तुलना की। हमें फिर से समानताएँ और अंतर मिले और हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि अभियोगात्मक पत्र उस टाइपराइटिंग मशीन पर टाइप किया गया था जो बंगाली मल के पिता के पास साबित हुई थी। किसी भी स्थिति में, भले ही पत्र इसी टाइपराइटर पर टाइप किया गया हो, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि या तो बंगाली मल ने टाइप किया था, टाइप करवाया था या मशीन के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। हमारे सामने इन विकल्पों में से किसी का भी सुझाव देने वाला कोई साक्ष्य नहीं है।

विस्फोटकों के विशेषज्ञ श्री बी. एन. पाल पी.डब्लू. 98 को यह साबित करने के लिए बुलाया गया था कि विस्फोट के बाद छत्ता थाने के पास पाए गए पदार्थ किसी विस्फोटक बम के टुकड़े थे और पिक्रिक एसिड और अमोनिया एक साथ मिलकर अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं। यदि इस साक्ष्य को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी इससे कुछ साबित नहीं होता, क्योंकि यह किसी भी तरह से बच्चा बाबू या किसी अन्य अपीलकर्ता को छत्ता थाने के पीछे फेंके गए वास्तविक बम से नहीं जोड़ता। बच्चा बाबू ने बम बनाने के लिए अमोनिया और पिक्रिक एसिड रखा हो सकता है, लेकिन इससे यह किसी भी तरह साबित नहीं होता कि छत्ता थाने में फटा वास्तविक बम बच्चा बाबू ने बनाया था या बच्चा बाबू के पास मौजूद सामग्री से बनाया गया था।

सरकारी गवाहों के अलावा, पहले से चर्चा किए गए साक्ष्यों के आधार पर, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि बच्चा बाबू के घर से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थ मिले थे और बच्चा बाबू ने इन्हें किसी गैरकानूनी उद्देश्य से वहाँ छिपाकर रखा था। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि परिसर में मिले दो हथियार केहरी सिंह और हाकिम ज्ञान सिंह के घरों से चुराए गए थे और बच्चा बाबू या तो जानते थे कि ये हथियार चोरी हो गए हैं या उनके पास यह मानने के अच्छे आधार थे कि ये हथियार चोरी हुए हैं। हालाँकि, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि बच्चा बाबू ने इन रिवॉल्वरों की चोरी के लिए उकसाया था या ये किसी षडयंत्र के तहत चुराए गए थे। यद्यपि छिपाने का तरीका हमें यह विश्वास दिलाता है कि ये हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक किसी गैरकानूनी उद्देश्य के लिए थे, लेकिन साक्ष्य हमें इस बात से संतुष्ट नहीं करते कि इन हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों और छत्ता थाने तथा आनंदी लाल के घर पर हुई दो डकैतियों और बम विस्फोटों के बीच कोई संबंध था।

संक्षेप में, सरकारी गवाहों के अलावा, पहले से चर्चा किए गए साक्ष्य स्वयं में किसी ऐसे षडयंत्र को सिद्ध नहीं करते जिसमें बच्चा बाबू केंद्र में रहने वाला व्यक्ति था और सरकारी गवाहों के साक्ष्य की भी पुष्टि नहीं करते कि ऐसा कोई षडयंत्र अस्तित्व में था। यह साक्ष्य बच्चा बाबू के घर से मिले हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थों और उन विभिन्न आपराधिक अपराधों के बीच कोई सामान्य कारक स्थापित नहीं करता, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इस षडयंत्र के प्रत्यक्ष कृत्य हैं।

विभिन्न कथित प्रत्यक्ष या आपराधिक कृत्यों के संबंध में बड़ी संख्या में गवाहों को भी बुलाया गया। इन्हें प्रत्येक विशिष्ट प्रत्यक्ष या आपराधिक कृत्य के तथ्य को सिद्ध करने और ऐसे कृत्य में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने के उद्देश्य से बुलाया गया था। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि इस साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि ये

कृत्य एक षडयंत्र का परिणाम थे, क्योंकि कई अपीलकर्ताओं की पहचान विभिन्न अपराधों में शामिल होने के रूप में की गई थी और प्रत्येक अपराध में बच्चा बाबू के साथ उनका संबंध स्थापित हुआ था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह संयोग के दायरे से परे था और इससे केवल एक ही अनुमान लगाया जा सकता था, अर्थात् बच्चा बाबू और अपीलकर्ता एक ही इरादे और उद्देश्य से कार्य कर रहे थे और ये अपराध ऐसे ही एक ही इरादे या उद्देश्य के अनुसरण में किए गए थे। इसके अलावा, यह साक्ष्य उन विशिष्ट अपराधों के संबंध में व्यक्तिगत अपीलकर्ताओं के अपराध को सिद्ध करने के लिए भी प्रस्तुत किया गया था जिनका उन पर आरोप लगाया गया था।

पुनः इस साक्ष्य की जांच करना आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह षडयंत्र तथा इसमें विभिन्न अपीलकर्ताओं की भागीदारी तथा इसके अनुसरण में कथित रूप से किए गए प्रत्यक्ष कृत्यों को स्थापित करता है, या यदि ऐसा नहीं है तो क्या यह षडयंत्र के लिए या अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोपित किसी अन्य अपराध के लिए दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए सरकारी गवाहों के साक्ष्य की पर्याप्त पुष्टि करता है।

साक्ष्य का यह वर्ग मुख्यतः तीन घटनाओं से संबंधित है। (क) 14 मार्च 1932 को मनोरथ भगत ध्यान राम के घर पर असफल डकैती, (ख) 1 अप्रैल 1932 को छत्ता थाने में बम विस्फोट और (ग) 13 जुलाई 1932 को जमना दास के गोदाम में हत्या के साथ डकैती। इसलिए यह सुविधाजनक होगा कि प्रत्येक घटना के संबंध में साक्ष्य पर अलग से विचार किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपीलकर्ता या उनमें से कोई एक प्रत्येक विशेष अपराध में शामिल था या नहीं।

(क) दिनांक 14 मार्च 1932 को मनोरथ भगत ध्यान राम के घर पर डकैती।

ऐसी डकैती होना संदेह से परे है और अपीलकर्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी है। गवाह गुलज़ार खान पी.डब्लू. सं. 21, देव नारायण पी.डब्लू. सं. 110, सोहनपाल पी.डब्लू. सं. 20, इंद्रजीत पी.डब्लू. सं. 33 और सुखदेव प्रसाद पी.डब्लू. सं. 12 इसे संदेह से परे साबित करते हैं। इस डकैती में रिवॉल्वर से गोली चलाई गई और गुलज़ार खान के बाएँ पैर में गोली लगी। बाद में इस गवाह ने भिंड जेल में हमारे शिनाख्त परेड में ज्वाला को एक डकैत के रूप में शिनाख्त की। देव नारायण ने भी भिंड जेल में ज्वाला और आगरा जेल में एक शिनाख्त परेड में बंगाली मल की शिनाख्त की। गवाह सोहनपाल, इंद्रजीत और सुखदेव प्रसाद किसी की भी शिनाख्त करने में असफल रहे।

ज्वाला की दो गवाहों द्वारा तथा बंगाली मल की केवल एक गवाह द्वारा शिनाख्त, यदि शिनाख्त संतोषजनक हो, तो उन्हें डकैती के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हो सकती है, विशेषकर तब जब उन दोनों को सरकारी गवाहों द्वारा फंसाया गया हो। हालाँकि, अभिलेखों की जाँच से पता चलता है कि यह शिनाख्त संतोषजनक नहीं थीं। आगरा में शिनाख्त करने की कार्यवाही प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट श्री त्रिलोकी नाथ की उपस्थिति में की गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट और साक्ष्य में कहा था कि देव नारायण ने बंगाली मल की सही शिनाख्त तो की, लेकिन एक गैर-संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त करते समय उससे एक गलती हुई थी। हमारे निर्णय में, केवल इस

साक्ष्य के आधार पर या केवल ऐसी शिनाख्त द्वारा समर्थित सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर बंगाली मल को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा।

भिंड जेल में दोनों गवाहों ने ज्वाला की सही शिनाख्त की और कोई गलती नहीं की, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि ज्वाला ने परेड से पहले विरोध किया और कहा कि गवाहों ने उसे उस सुबह शिनाख्त की कार्यवाही से ठीक पहले देखा था। इस कार्यवाही का संचालन करने वाले मजिस्ट्रेट, श्री अनीस अहमद, पी.डब्लू. 52, के नोट से पता चलता है, जिन्होंने अपनी गवाही में आगे कहा: "शिनाख्त के बाद अभियुक्त ने कहा कि जिन गवाहों ने उसकी शिनाख्त की थी, उन्होंने उसे तंबू के अंदर से देखा था। किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया।" यदि इसका मतलब यह है कि ज्वाला ने गवाहों की मौजूदगी में विरोध किया और उनमें से किसी ने भी इस दावे का खंडन नहीं किया, तो यह पूरी कार्यवाही को पूरी तरह से निरर्थक बना देता है। क्योंकि यह मानना उचित है कि अगर गवाहों ने ज्वाला को नहीं देखा होता, तो वे इस दावे का खंडन करते कि उन्होंने उसे देखा था, अगर यह उनकी मौजूदगी और सुनवाई में किया जाता। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वाला की नाक के दाहिने हिस्से में छेद है और विकृति स्पष्ट है। श्री त्रिलोकी नाथ द्वारा आयोजित एक अन्य शिनाख्त परेड में मजिस्ट्रेट ने इस विकृति को देखा और उसे एक कागज़ के टुकड़े से ढक दिया और परेड में शामिल कई गैर-संदिग्ध व्यक्तियों की नाक पर भी इसी तरह के कागज़ के टुकड़े चिपका दिए। भिंड में श्री अनीस अहमद द्वारा ऐसी कोई सावधानी नहीं बरती गई थी। यदि यह विकृति इतनी स्पष्ट थी कि श्री त्रिलोकी नाथ को वे सावधानियां बरतनी पड़ीं जो उन्होंने बरतीं, तो भिंड में ऐसी सावधानियां न बरतने के कारण हमारे लिए गुलज़ार खान और देव नारायण द्वारा ज्वाला की शिनाख्त को कोई महत्व देना असंभव है। अतः, यह निष्कर्ष निकलता है कि उचित रूप से संचालित कार्यवाही में पहचाना गया एकमात्र अपीलकर्ता बंगाली मल था, जिसकी शिनाख्त आगरा में देव नारायण ने की थी; लेकिन चूँकि देव नारायण ने एक गलती की और एक गैर-संदिग्ध की शिनाख्त कर ली, इसलिए हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ताओं में से कोई भी इस डकैती से जुड़ा था।

(ख) 1 अप्रैल 1932 को छत्ता थाने में बम विस्फोट।

इस तथ्य को चुनौती नहीं दी जा सकती कि ऐसा विस्फोट हुआ था और हमारे निर्णय में गवाह सुमेरा पी.डब्लू. 30, सरन बेनारी पी.डब्लू. 31 और सब-इंस्पेक्टर मो. इशाक पी.डब्लू. 91 द्वारा संतोषजनक रूप से सिद्ध किया गया है, जिनके साक्ष्य हम बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं।

दो अन्य गवाहों को बुलाया गया जिन्होंने विस्फोट के तुरंत बाद लोगों को घटनास्थल से भागते देखा था और ये गवाह थे लाडली प्रसाद पी.डब्लू. 75 और बड़ा माल पी.डब्लू. 23 और उनकी गवाही का प्रभाव यह है कि बंगाली मल और नेपाली उन लोगों में शामिल थे जो विस्फोट होते ही घटनास्थल से भाग गए थे। इसके अलावा दोनों ने कहा कि बच्चा बाबू विस्फोट के तुरंत बाद घटनास्थल के पास ही थे।

हम लाडली प्रसाद को सच्चा गवाह नहीं मान सकते। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया, हालाँकि उसने जो कुछ देखा उससे उसे ज़रूर पता होगा कि भाग रहे लोग ही विस्फोट के ज़िम्मेदार थे, और बच्चा बाबू के घर पर छापे के बाद ही उसने

पहली बार इस मामले का ज़िक्र किया। अपने साक्ष्य में उसने कहा, "मैंने सोचा था कि मुझे इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं की।" इसके अलावा, उसके अनुसार, बच्चा बाबू ने एक बार उसे क्रांतिकारी समूह में शामिल होने के लिए कहा था, और यह थोड़ा अजीब है कि बच्चा के विचारों को जानते हुए और विस्फोट के तुरंत बाद उसे घटनास्थल के इतने पास देखकर भी उसने उसे घटना से नहीं जोड़ा। अपनी गवाही के अंत में उसने वज़ीरपुरा में हुई सत्यापन कार्यवाही के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। उसने कहा, "मैंने वज़ीरपुरा में डिप्टी को नहीं देखा। मैं उसके साथ नहीं गया था। ..... मैंने वज़ीरपुरा में कोई ट्रक नहीं देखा और मैं डिप्टी मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों के साथ कोतवाली नहीं गया था।" श्री त्रिलोकी नाथ के साक्ष्य के अनुसार, जिसे हम स्वीकार करते हैं और इन सत्यापन कार्यवाहियों पर उनके नोट के अनुसार, लाडली प्रसाद का यह बयान जानबूझकर झूठा है, और हम इस तरह के गवाह पर भरोसा नहीं कर सकते।

गवाह बारा माल पी.डब्लू. सं. 23 ने विस्फोट स्थल से चार लोगों को भागते देखा और बाद में उनमें से दो की शिनाख्त नेपाली और बंगाली मल के रूप में की। शिनाख्त की कार्यवाही में उसने एक संदिग्ध की शिनाख्त नहीं की और मजिस्ट्रेट की अदालत में राम सिंह की शिनाख्त बंगाली मल के रूप में की। इसके अलावा, जब उसने नेपाली की शिनाख्त की, तो नेपाली ने तुरंत शिकायत की कि उसे कोतवाली में गवाह को दिखाया गया था। इसलिए, इस गवाह की शिनाख्त संतोषजनक नहीं है, और चूँकि उसने पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी, हालाँकि उसे पता था कि एक गंभीर अपराध हुआ है, इसलिए हमें उसके साक्ष्य को स्वीकार करना मुश्किल लगता है।

हमारे विचार में इन दोनों गवाहों के साक्ष्य ऐसे हैं कि इन पर अकेले या सरकारी गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि के आधार पर कार्रवाई करना असुरक्षित होगा।

यह साबित करने के लिए भी साक्ष्य जुटाए गए कि छत्ता थाने का थानेदार कांग्रेस समर्थकों और उच्च राजनीतिक विचारों वाले लोगों के बीच अलोकप्रिय था। अगर उसने अपना कर्तव्य निभाया होता, तो शायद वह ऐसा ही होता और ऐसे साक्ष्य अभियोजन पक्ष को अपीलकर्ताओं तक इस अपराध का बोध करने में सहायक नहीं हो सकते। हमारे निर्णय में अभियोजन पक्ष छत्ता थाने में हुई इस घटना से किसी भी अपीलकर्ता का संबंध जोड़ने में पूरी तरह विफल रहा है। नेपाली और बंगाली मल को फंसाने वाला एकमात्र साक्ष्य सरकारी गवाहों का साक्ष्य है जो स्वीकार्य होने के लिए अपर्याप्त है।

(ग) दिनांक 13 जुलाई 1932 की शाम को जमना दास के घर पर डकैती।

इस डकैती और हत्या के तथ्य को बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है और वास्तव में अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि इस तरह की डकैती हुई थी लेकिन यह जमना दास के रिश्तेदारों का काम था, जिनका उसके साथ मुकदमा चल रहा था और वे जमना दास के मुख्य गवाहों में से एक को हटाना चाहते थे और उसके रिकॉर्ड को नष्ट करना चाहते थे। डकैती के तीन गवाहों, अर्थात जमना दास पी.डब्लू. 7, लक्ष्मी नारायण पी.डब्लू. 9 और सांवले प्रसाद पी.डब्लू. 10 को बुलाया गया था। हम डकैती के संबंध में उनके साक्ष्य को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि डकैती का

तथ्य सिद्ध है और उस डकैती में दुर्गा प्रसाद की हत्या एक डाकू द्वारा चलाई गई गोली से हुई थी। जमना दास और लक्ष्मी नारायण ने किसी की शिनाख्त नहीं की, जबकि सांवले प्रसाद ने जेल में नेपाली और रामनाथ की शिनाख्त की। नेपाली ने विरोध किया कि उसे इस गवाह को दिखाया गया था, और हमारे विचार में इस शिनाख्त के आधार पर या तो एकमात्र साक्ष्य के रूप में या सरकारी गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि के रूप में कार्य करना सुरक्षित नहीं होगा।

ये सभी गवाह डकैती का वर्णन उमाशंकर और रामनाथ के समान ही सामान्य शब्दों में करते हैं, लेकिन विवरण के मामले में महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं। सरकारी गवाहों के अनुसार, राम सिंह और बंगाली मल परिसर में दौड़े और किसी को पकड़कर पैसे की माँग की। साँवले प्रसाद के अनुसार, जमना दास को एक डाकू ने पकड़ लिया था, लेकिन वह व्यक्ति राम सिंह या बंगाली मल से बड़ा और ताकतवर दिख रहा था। यह गवाह उन दोनों को बचपन से जानता था और अगर वे वहाँ मौजूद थे, तो यह वाकई उल्लेखनीय है कि उसने उन्हें नहीं पहचाना। सरकारी गवाहों और सांवले प्रसाद, सभी ने कहा कि नेपाली बिजली की रोशनी में खड़ा था और वहीं से उसने गोली चलाकर दुर्गा प्रसाद की हत्या कर दी। हालाँकि, लक्ष्मी नारायण ने सकारात्मक रूप से कहा कि रोशनी में खड़े डाकू ने चेहरे पर नकाब पहने हुए था और "नेपाली और ज्वाला से कहीं ज़्यादा ताकतवर, बड़ा और लंबा आदमी था।" यदि रोशनी में खड़े डाकू ने चेहरे पर नकाब पहने हुए था, तो यह समझना मुश्किल है कि सांवले प्रसाद ने उसे कैसे पहचाना। किसी भी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से बुलाए गए स्वतंत्र गवाहों के बीच बहुत गंभीर असहमति है, और यह हमारे लिए केवल एक व्यक्ति द्वारा नेपाली और राम नाथ सरकारी गवाह की शिनाख्त के इस सूक्ष्म साक्ष्य पर कार्रवाई करना असंभव बनाता है।

अन्य गवाहों को बुलाया गया था, जिनके बारे में आरोप है कि उन्होंने डकैतों के समूह को बच्चा बाबू के घर से निकलते और डकैती के लिए जाते और अपराध करने के बाद बच्चा बाबू के घर लौटते देखा था। हमारी राय में इस साक्ष्य को अत्यंत सावधानी से देखा जाना चाहिए क्योंकि 7 और 8 अगस्त को उमा शंकर के इकबालिया बयान में, जो समय के लिहाज से सबसे पहला था, किसी भी डकैत द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को देखे जाने का कोई उल्लेख नहीं है। उनका उल्लेख सबसे पहले 27 अगस्त को राम नाथ के इकबालिया बयान में किया गया है और चूँकि 5 अगस्त से 19 अगस्त के बीच, जब उसे गिरफ्तार किया गया था, राम नाथ कहाँ था, इस बारे में अभी तक संतोषजनक ढंग से नहीं बताया गया है, इसलिए हम साक्ष्य को अत्यंत सावधानी से देखते हैं। यह सच है कि उमा शंकर ने अपने साक्ष्य में इन गवाहों को देखने की बात कही थी, लेकिन चूँकि उनके इकबालिया बयान में इनका ज़िक्र नहीं है, इसलिए हम मामले के इस पहलू पर उसकी गवाही को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते।

आटा चक्की के मिस्त्री माखन सिंह पी.डब्लू.12 ने गवाही दी कि जुलाई 1932 की एक शाम वह चक्की के आधार को मरम्मत के लिए खराद मजदूर एक बुड्ढे के पास ले गया। उसने चक्की के आधार को वहीं छोड़ दिया और एक छेनी को तेज करवाने के लिए दूसरे बुड्ढे पी.डब्लू.11 के पास ले गया। इस काम के लिए इंतज़ार करते हुए वह ठाकुर के साथ बाहर चारपाई पर बैठा था और उसने दो-तीन व्यक्तियों को बच्चा बाबू के घर की तरफ जाते देखा, जो पास ही था। बच्चा बाबू और दो-तीन व्यक्ति उसके घर के बाहर बैठे थे और वे लोग भी उनके साथ हो लिए जिन्हें उसने अपने घर की तरफ जाते देखा था। कुछ देर बातचीत करने के बाद उसके साथी बच्चा बाबू को छोड़कर चले गए, जो उसके घर के बाहर ही बैठे रहे और लगभग एक घंटे बाद वापस लौटे, उससे बात की और चले गए। उस रात बाद में इस गवाह ने जमना दास के घर पर हुई

डकैती के बारे में सुना, लेकिन उसने उन लोगों को, जिन्हें उसने बच्चा बाबू के घर पर देखा था, इस डकैती से नहीं जोड़ा। उन्होंने लगभग एक महीने बाद तक, यानी छापेमारी के बाद और कम से कम दो सरकारी गवाहों के अपराध स्वीकार करने के बाद तक पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। जेल में इस गवाह ने राम सिंह, ऋषि नाथ और राम नाथ सरकारी गवाह को उस समूह के सदस्यों के रूप में पहचाना जिसे उसने देखा था। हालाँकि, दो गैर-संदिग्धों की शिनाख्त करते समय उसने दो गलतियाँ कीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गवाह के पास इस समूह को नजदीक से देखने या बिल्कुल भी देखने का कोई कारण नहीं था, और हमें यह मानना मुश्किल ही नहीं, बल्कि असंभव भी लगता है कि वह कई हफ़्तों बाद हुई एक परेड में समूह के तीन सदस्यों की शिनाख्त कर सका। इसके अलावा, सरकारी गवाहों के अनुसार, बच्चा बाबू के घर पर डकैतों के इकट्ठा होने का उद्देश्य डकैती के लिए आवश्यक हथियार और गोला-बारूद हासिल करना था। इस गवाह के अनुसार, ये लोग घर में कभी नहीं घुसे, बल्कि बाहर बैठे बच्चा बाबू से बात की। यह अकल्पनीय है कि बच्चा बाबू ने अपने घर के बाहर इन लोगों को हथियार दिए, जहाँ कोई भी आमजन या राहगीर यह देख सकता था कि क्या हो रहा है। इसी तरह, समूह हथियार और गोला-बारूद वापस बच्चा बाबू को सौंपने के उद्देश्य से बच्चा बाबू के घर लौटा। फिर, इस गवाह के अनुसार, डकैत घर में कभी नहीं घुसे और हम यह नहीं मानते कि डकैती के बाद, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई हो, लौटते हुए डकैतों ने अपने हथियार बच्चा को उसके घर के बाहर सौंप दिए होंगे, जहाँ आस-पास मौजूद कोई भी व्यक्ति उन्हें देख सकता था। इसलिए, हम इस गवाह के बयान को कोई महत्व नहीं दे सकते।

बुद्धा पी.डब्लू. 11, जिसके पास माखन सिंह छेनी ले गया था, ने गवाही दी कि उसने जमना दास के घर डकैती वाली रात बच्चा बाबू से बात करते हुए कई युवकों को देखा था। बाद में उसने रामनाथ की शिनाख्त इस समूह के एक सदस्य के रूप में की। डकैती की खबर सुनकर उसने इस समूह या बच्चा बाबू का इससे कोई संबंध नहीं बताया और न ही पुलिस को कोई सूचना दी। हम इस गवाह की गवाही को उन्हीं कारणों से खारिज करते हैं जिनके कारण हमें माखन सिंह की गवाही खारिज करनी पड़ी।

भवानी शंकर पी.डब्लू. 13 ने जुलाई की एक शाम बेलनगंज में राम सिंह, बंगाली मल, ऋषि नाथ और पाँच-छह अन्य लोगों को सड़क पर जाते देखा। उसके अनुसार, ऋषि नाथ किसी से बात करने के लिए रुका और बाकी लोग ऋषि नाथ को पीछे छोड़कर सुंदरजी गली की ओर चले गए। वह राम सिंह, बंगाली मल और ऋषि नाथ को जानता था, और बाद में जेल में नेपाली की शिनाख्त नौ-दस लोगों के इस समूह के एक अन्य सदस्य के रूप में की। जैसा कि पहले कहा गया है, उमा शंकर ने अपने इकबालिया बयान में ऋषि नाथ के किसी परिचित से बात करने के लिए रुकने की घटना का उल्लेख नहीं किया है। इसका उल्लेख सबसे पहले राम नाथ ने लगभग तीन हफ्ते बाद अपने इकबालिया बयान में किया था, हालाँकि दोनों सरकारी गवाहों ने अपने साक्ष्य में इसका उल्लेख किया था। पुनः इस गवाह ने भी डकैती के बारे में सुनने के बाद भी इस घटना को कोई महत्व नहीं दिया और छापेमारी के बाद इस षड्यंत्र की जाँच पूरी तरह से शुरू होने तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसने इन लोगों पर ध्यान दिया हो, और हम उसकी गवाही को विश्वसनीय नहीं मानते।

रघुनाथ सिंह पी.डब्लू. 29 ने गवाही दी कि वह वही व्यक्ति था जिससे ऋषि नाथ ने बात की थी, जैसा कि पिछले गवाह ने बताया था। उसने बताया कि उसने बेलनगंज में एक समूह को देखा था जिसमें राम नाथ, ऋषि नाथ, हरि हर, बंगाली मल, उमा शंकर, दाऊ दयाल, राम सिंह और एक अन्य व्यक्ति शामिल था, जिसकी शिनाख्त उसने

बाद में जेल में नेपाली के रूप में की। उसके अनुसार, उसने ऋषि नाथ को रोका था जो जल्दी में लग रहा था और जो ज़रूरी काम बताकर चला गया। डकैती की जानकारी होने के बावजूद उसने घटना को कोई महत्व नहीं दिया और छापेमारी के बाद जाँच तक पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। वह एक संयोगवश गवाह है और जिरह के दौरान वह उस रात बेलनगंज में होने का कोई कारण नहीं बता सका। उसने बताया कि वह अपने पिता का संदेश लेकर ज़िन-की-मंडी जा रहा था। वह उस व्यक्ति को नहीं जानता था, न ही यह बता सकता था कि वह व्यक्ति उसके पिता का रिश्तेदार था या नहीं। उसने स्वीकार किया कि उसे पहले या बाद में कभी उस व्यक्ति के पास नहीं भेजा गया था और उसे नहीं पता था कि उसके पिता उसे क्यों बुला रहे थे। उसने जो एक और उल्लेखनीय बयान दिया, वह यह था कि उसने उस रात संदेश पहुँचाया ही नहीं, हालाँकि ऐसा न करने का कोई कारण नहीं था। यह गवाह यह बताने में पूरी तरह विफल रहा कि वह बेलनगंज में कैसे पहुँचा। जिस तरह से उसने जिरह में प्रश्नों का उत्तर दिया, उसे देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वह उस रात बेलनगंज में था ही नहीं और न ही उसने अपीलकर्ताओं या उनमें से किसी को देखा था।

बसत अली पी.डब्लू. 16, मिसरी पी.डब्लू. 14 और शकूर पी.डब्लू. 15 एक कुएँ पर बैठे थे और उन्होंने उस समूह को जमना दास के परिसर में आते-जाते देखा। बाद में बसत अली ने राम नाथ की शिनाख्त की, मिसरी ने नेपाली और उमा शंकर और शकूर ने राम नाथ की शिनाख्त की, हालाँकि इन पहचानों में कई गलतियाँ हुईं। इन गवाहों का उल्लेख उमा शंकर ने अपने इकबालिया बयान में नहीं किया था, हालाँकि उनका उल्लेख उनके साक्ष्य में है और 27 अगस्त को राम नाथ के इकबालिया बयान में पहली बार उनके होने का संकेत दिया गया था। उनके अनुसार, जब उन्हें डकैती की जानकारी थी तब भी उन्होंने घटना को कोई महत्व नहीं दिया, और पिछले गवाहों के साक्ष्य को खारिज करने में हमने जो कारण बताए हैं, उन्हीं के आधार पर हम इस साक्ष्य को भी खारिज करते हैं।

इसके अलावा ये सभी गवाह डकैतों के एक ही समूह में होने की बात करते हैं; जबकि उमा शंकर और राम नाथ का कहना है कि बच्चा बाबू के घर से निकलने के बाद डकैत दो समूहों में बंट गए और अलग-अलग रास्तों से होते हुए जमना दास के गोदाम के सामने जा मिले। भवानी शंकर का कहना है कि उसने नौ या दस को देखा और रघुनाथ ने आठ को देखने की बात कही। बसत अली, मिसरी और शकूर ने डकैतों की संख्या सात से नौ के बीच बताई है। इन लोगों ने बच्चा बाबू के घर और जमना दास के गोदाम के बीच कई जगहों पर डकैतों को देखा, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यदि समूह बँट गया था तो उन्हें अधिक संख्या यानी चार या पाँच से अधिक डकैत कैसे दिखाई दिए। इसलिए, सरकारी गवाहों के बयानों और इन गवाहों के साक्ष्य के बीच बहुत गंभीर विसंगति है, जिससे हमारे लिए ऐसे साक्ष्य के आधार पर या तो अकेले या सरकारी गवाहों की गवाही की पुष्टि के तौर पर कार्रवाई करना असंभव हो जाता है।

रघुबीर, पी.डब्लू. सं. 17, ने उस रात समूह देखा और जेल में उमा शंकर की शिनाख्त की। हालाँकि, वह अदालत में उसकी शिनाख्त करने में विफल रहा, इसलिए उसका साक्ष्य अर्थहीन है।

शाम लाल, पी.डब्लू. सं. 35, ने इस तथ्य की गवाही दी कि उसने राम नाथ और ऋषि नाथ से उस शाम देर से बात की थी जिस दिन डकैती हुई थी। जिस स्थान पर वह उनसे मिला था वह डकैती के दृश्य से लगभग डेढ़ मील की दूरी पर था। ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि यह गवाह जो ऋषि नाथ और राम नाथ को अच्छी तरह से जानता था, इस घटना को याद रखे। लेकिन यदि यह घटना हुई भी थी, तो यह हमारे विचार में सरकारी गवाहों के बयान की पुष्टि नहीं

करता है। हो सकता है कि वह इन व्यक्तियों से उस समय मिला हो; लेकिन यदि वह मिला भी है, तो यह किसी भी तरह से सरकारी गवाहों के बयान की पुष्टि नहीं करता है कि ऋषि नाथ और राम नाथ डेढ़ मील दूर डकैती के स्थल पर शाम को पहले से ही मौजूद थे।

हमारे फैसले में, जमना दास के गोदाम में डकैती के लिए आने-जाने वाले समूह के इन चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य निरर्थक है और न तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अपीलकर्ता या उनमें से कोई भी डकैती में शामिल था, न ही यह सरकारी गवाहों के बयान की पुष्टि करता है। यह ऐसा साक्ष्य है जो रामनाथ के इकबालिया बयान के बाद आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, और हमें इसे अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। इसलिए, हमारे फैसले में अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि दिनांक 13 जुलाई, 1932 को जमना दास के गोदाम में हुई हत्या में अपीलकर्ताओं में से कोई भी शामिल था।

दिनांक 6 अप्रैल, 1932 को आनंदी लाल के घर पर बम और पत्र रखने से जुड़े किसी भी व्यक्ति की शिनाख्त करने के लिए कोई भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कि वहां ऐसा बम और पत्र रखा गया था, यह बात कस्तूर चंद, पी.डब्लू. सं. 39, कांस्टेबल महेंद्र सिंह, पी.डब्लू. सं. 27 और सब-इंस्पेक्टर, मो. अली खान, पी.डब्लू. सं. 35 द्वारा पर्याप्त रूप से सिद्ध की गई है। जैसा कि हमने पहले कहा है, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि पत्र बंगाली मल के पिता के स्वामित्व वाली मशीन पर टाइप किया गया था, जिस तक बंगाली मल की पहुंच थी। आनंदी लाल को पहले भी धमकी भरे पत्र मिले थे जिनमें पैसे मांगे गए थे और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। इस मामले में बच्चा बाबू को इन पत्रों से जोड़ने की कोशिश की गई। आनंदी लाल, पी.डब्लू. सं. 37, ने गवाही दी कि दो पत्र मिलने के बाद, एक व्यक्ति ने उनकी कार रोकी, जिसके बारे में बताया गया कि वह टेक चंद है। बाद में उसने उससे पूछा कि क्या उसे कोई पत्र मिला है, और जब उसे बताया गया कि उसने उसे चेतावनी दी है कि उसे पैसे देने होंगे क्योंकि पत्र एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति की तरफ से आया था, जिसे बाद में उसने बच्चा बाबू का नाम बताया। आनंदी लाल ने पुलिस को इस घटना के बारे में कभी नहीं बताया, हालाँकि उन्होंने पुलिस को पत्रों की प्राप्ति की सूचना पहले ही दे दी थी और इसलिए यह मानना मुश्किल है कि यह घटना कभी हुई थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस साक्ष्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारे विचार से, यदि यह सत्य भी होता, तो भी यह बच्चा बाबू या किसी भी अपीलकर्ता के विरुद्ध अस्वीकार्य है। अभियोजन पक्ष ने यह आरोप नहीं लगाया है कि टेक चंद एक षड्यंत्रकारी था, और इसलिए हम यह नहीं देख सकते कि उसने जो कुछ कहा वह बच्चा बाबू या किसी अन्य अपीलकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य कैसे हो सकता है। हमारे फैसले में अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं और आनंदी लाल के घर पर बम रखने या उससे पहले धमकी देकर पैसे की माँग करने वाले पत्रों के बीच कोई संबंध साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

यह दिखाने के लिए कई गवाहों को बुलाया गया कि जिस अवधि में षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था, उस दौरान अपीलकर्ताओं को अक्सर एक साथ देखा गया था।

शरीफुद्दीन, पी.डब्लू. सं. 100, मोहम्मद हुसैन पी.डब्लू. सं. 101 और शुजात हुसैन, पी.डब्लू. सं. 102 ने गवाही दी कि उन्होंने समय-समय पर हेवेट पार्क में बच्चा बाबू और कथित षड्यंत्र के विभिन्न सदस्यों को गहन बातचीत करते देखा था और बाद में जेल में कई अपीलकर्ताओं की शिनाख्त की थी। पूर्व उल्लिखित लाडली प्रसाद ने बच्चा बाबू और कुछ अन्य

अपीलकर्ताओं के बीच संबंधों का भी उल्लेख किया है और कई अन्य गवाहों के साक्ष्य में भी इस तरह के संबंध का संदर्भ दिया गया है। इस साक्ष्य पर विस्तार से विचार करना अनावश्यक है, क्योंकि अन्यथा यह अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं कर सकता है। यह इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता एक-दूसरे से परिचित थे और वे साजिश के दोषी होने या बिना किसी अवैधानिक उद्देश्य के बातचीत करने के लिए पार्क या शाम के समय किसी अन्यत्र स्थान में मिले हो सकते थे। किसी भी तरह के संबंध होने के साक्ष्य के लिए ऐसी संगति में कुछ संदिग्ध होना चाहिए और किसी सार्वजनिक स्थान या पार्क में पक्षों के बीच महज आकस्मिक मुलाकात या बातचीत से, जहाँ महज परिचित लोग अक्सर मिलते और बातें करते हैं, किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इनमें से किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया कि इन व्यक्तियों के मिलने और बातचीत करने के तरीके में कुछ भी संदिग्ध, अजीब या गुप्त था। यह सच है कि कुछ गवाहों ने कहा कि जब गवाह पास आए तो बच्चा बाबू और उनके दोस्तों ने पार्क में अपनी बातचीत बंद कर दी, लेकिन इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। किसी षड्यंत्र के होने के अलावा और भी 101 कारण हो सकते थे जो बच्चा बाबू और उनके साथियों को इन गवाहों की सुनवाई की सीमा के भीतर बातचीत बंद करने के लिए प्रेरित करते। किसी भी स्थिति में, हमें यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि ये गवाह ऐसी घटनाओं को याद कर सकते थे, खासकर जब उन्होंने उन्हें घटित होने पर कोई महत्व नहीं दिया था। इस प्रकार के साक्ष्य आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि इनमें से किसी भी गवाह ने 5 अगस्त को छापेमारी के बाद तक, तथा इस कथित षड्यंत्र की जांच शुरू होने तक, बच्चा बाबू या किसी भी अपीलकर्ता के आचरण में कुछ भी संदिग्ध नहीं बताया।

इसलिए, हमारे विचार में, अभियोजन पक्ष उनके द्वारा आरोपित षड्यंत्र को स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। सरकारी गवाहों से स्वतंत्र कहे जाने वाले साक्ष्य कुछ भी साबित नहीं करते हैं और न ही यह सरकारी गवाहों के बयान की कोई पुष्टि करते हैं। जिन परिस्थितियों में इन सरकारी गवाहों ने पहली बार स्वीकारोक्ति की और स्वयं की गई स्वीकारोक्ति और उनके द्वारा दिए गए बाद के साक्ष्य के बीच स्पष्ट विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए, हम उनके साक्ष्य को कोई बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम इसे जो भी महत्व देते हैं, हम पुष्टि के अभाव में केवल इसके आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते। सरकारी गवाहों के साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इससे पहले कि हम इन अपीलकर्ताओं को षड्यंत्र के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित समझें, अत्यधिक मजबूत और ठोस पुष्टिकरण की आवश्यकता होगी। पुष्टि के तौर पर ऐसा कोई मजबूत और ठोस साक्ष्य नहीं है; वास्तव में नाम के लायक भी कोई पुष्टिकारी साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा, हमारे विचार में अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में पूरी तरह से विफल रहा है कि अपीलकर्ताओं में से कोई भी इस मामले में उनके विरुद्ध लगाए गए आपराधिक कृत्यों में शामिल था, सिवाय बच्चा बाबू के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के, जो 5 अगस्त 1932 को उसके घर पर पाए गए हथियारों, गोला-बारूद और उसके पास विस्फोटक पदार्थों का कब्जे में होने के संबंध में थे।

अंत में, हमारे लिए प्रत्येक अपीलकर्ता के विरुद्ध मामले पर संक्षेप में विचार करना आवश्यक है।

बच्चा बाबू

पहले से दिए गए कारणों के आधार पर, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि बच्चा बाबू कथित षड्यंत्र का दोषी था। वे इस अपीलकर्ता और 14 मार्च 1932 और 13 जुलाई 1932 की दो डकैतियों के बीच कोई संबंध साबित करने में भी विफल रहे हैं। इसलिए, इन दोनों डकैतियों के षड्यंत्र और उकसावे के लिए दोषसिद्धि बरकरार नहीं रह सकती। पहले

से दिए गए कारणों से हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता के पास अवैध और गुप्त रूप से बड़ी मात्रा में हथियार, गोलाबारूद और विस्फोटक पदार्थ थे, जो शस्त्र अधिनियम की धारा 20, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और भा.दं.सं. की धारा 411 के तहत अपराध का कारण बनते हैं। इसलिए, हमारे विचार से, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उसे इन आरोपों में उचित रूप से दोषी ठहराया था।

परिणामस्वरूप, हम इस अपीलकर्ता को धारा 120 बी भा.दं.सं. सपठित आरोप में उल्लिखित अन्य धाराओं के तहत षड्यंत्र के लिए दी गई सजा और मृत्यु दंड को अपास्त करते हैं। हम डकैती के लिए उकसाने के दो आरोपों में सुनाई गई दोषसिद्धि को भी अपास्त करते हैं, जिसके लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा उसे अलग से कोई सजा अधिरोपित नहीं की गई थी। तथापि, हम शस्त्र अधिनियम की धारा 20 के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा और दोषसिद्धि तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा और दोषसिद्धि तथा धारा 411 भा.दं.सं. के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखते हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार ये सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। इस सीमा से बच्चा बाबू की अपील स्वीकार की जाती है।

नेपाली

चूंकि हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि अभियोजन पक्ष ने षड्यंत्र के आरोप को साबित कर दिया है, इसलिए षड्यंत्र के लिए नेपाली की दोषसिद्धि और सजा बरकरार नहीं रह सकती। इसके अलावा, हमारे विचार में, यह साबित नहीं हुआ है कि यह अपीलकर्ता 1 अप्रैल 1932 के छत्ता थाना बम कांड या 13 जुलाई 1932 को जमना दास के गोदाम में हुई डकैती से संबंधित था और इसलिए इन आरोपों के संबंध में दोषसिद्धि और सजाएं, हमारे निर्णय में, उचित नहीं हैं। इसलिए हम इस अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार करते हैं और भा.दं.सं. की धारा 120बी सपठित आरोप में उल्लिखित अन्य धाराओं के तहत षड्यंत्र के लिए उसे दी गई दोषसिद्धि और मृत्युदंड की सजा तथा धारा 395/396 भा.दं.सं. के तहत हत्या के साथ डकैती और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4(ए) के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास की दोषसिद्धि और सजा को अपास्त करते हैं। हम निर्देश देते हैं कि जब तक किसी अन्य आरोप में अधिकारियों द्वारा अपेक्षित न हो इस अपीलकर्ता को तुरंत रिहा कर दिया जाए।

ऋषि नाथ

चूंकि हम षड्यंत्र के होने से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए धारा 120बी भा.दं.सं. सपठित आरोप में उल्लिखित अन्य धाराओं के तहत उसकी दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है। उसके मामले में एक और कारण है कि उसे बरी क्यों किया जाना चाहिए। उसकी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिनसे यह संदेह से परे सिद्ध हो गया कि यह अपीलकर्ता दिनांक 20 मई 1932 से 20 जून 1932 के बीच आगरा में नहीं था, फिर भी रामनाथ सरकारी गवाह ने इस अवधि के दौरान कई बार उससे मिलने और लगभग इसी समय उसका बच्चा बाबू से परिचय कराने की बात कही। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस अन्यत्र उपस्थिति साक्ष्य को स्वीकार कर लिया है और यह सही भी है, क्योंकि यह हमें विश्वसनीय, सीधा और सत्य प्रतीत होता है। इस साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामनाथ की गवाही या तो बहुत गलत है या फिर वह जानबूझकर झूठ बोल रहा है। ऋषि नाथ ने यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए कि 13 जुलाई 1932 की रात को जब जमना दास के गोदाम में डकैती हुई थी, तब वह आगरा से बाहर था। इस साक्ष्य को विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अस्वीकार कर दिया है और हमारे लिए इस पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है। लेकिन इससे हमारे मन में सरकारी गवाह के इस

कथन की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि ऋषि नाथ का 13 जुलाई 1932 की डकैती से संबंध था। हालाँकि, इस मामले को साबित करना अभियोजन पक्ष का काम है और चूँकि ऋषि नाथ के विरुद्ध मामला पूरी तरह से सरकारी गवाहों के साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए उसकी दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

हमने उन साक्ष्यों पर चर्चा नहीं की है जो यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत किए गए थे कि अपीलकर्ता के पास 19 जून 1931 को अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ थे और इसलिए वह विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अपराध का दोषी है। विद्वान न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि उस दिन ऋषिनाथ के परिसर में हुआ विस्फोट निस्संदेह विस्फोटकों के कारण हुआ था। उनके विचार से, जैसा कि अभियुक्त ने कहा है, यह पेट्रोल वाष्प के कारण हुआ होगा। इसलिए उन्होंने अभियुक्त को इस आरोप से बरी कर दिया, और हमारे विचार से, यह सही भी है। इसलिए, हमारे निर्णय में, इस घटना से संबंधित साक्ष्यों का उपयोग षड्यंत्र के आरोपों पर नहीं किया जा सकता।

परिणामस्वरूप हम इस अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार करते हैं और धारा 120 बी भा.दं.सं. सपठित आरोप में उल्लिखित अन्य धाराओं के तहत षड्यंत्र के लिए दोषसिद्धि और 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को अपास्त करते हैं और निर्देश देते हैं कि जब तक किसी अन्य आरोप में अधिकारियों द्वारा अपेक्षित न हो इस अपीलकर्ता को तुरंत रिहा कर दिया जाए।

राम सिंह

इस अपीलकर्ता ने जमना दास के परिसर में डकैती की रात अपनी गतिविधियों के बारे में स्पष्ट झूठ बोला था और इसे साबित करने के लिए ढेर सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। हालाँकि, किसी अभियुक्त द्वारा झूठ बोलना अपने आप में उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, न ही यह सरकारी गवाह के बयान की पुष्टि कर सकता है। हमने जो कारण पहले ही बताए हैं, उनके आधार पर हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि षडयंत्र सिद्ध हो गया है, न ही हम इस बात से संतुष्ट हैं कि यह अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति था जिसने 13 जुलाई 1931 को अपने चाचा हाकिम ज्ञान सिंह के घर से रिवॉल्वर चुराई थी, इसलिए इन आरोपों पर दोषसिद्धि और सज़ा बरकरार नहीं रखी जा सकती। इसलिए हम इस अपीलकर्ता की अपील स्वीकार करते हैं और धारा 120बी भा.दं.सं. सपठित आरोप में उल्लिखित अन्य धाराओं के तहत दोषसिद्धि और सात वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा और धारा 380 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि और एक वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा को अपास्त करते हैं और निर्देश देते हैं कि जब तक किसी अन्य आरोप में अधिकारियों द्वारा अपेक्षित न हो इस अपीलकर्ता को तुरंत रिहा कर दिया जाए।

बंगाली मल

उपरोक्त कारणों से हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि यह अपीलकर्ता षड्यंत्र के आरोप का दोषी है। न ही हम इस बात से संतुष्ट हैं कि वह 14 मार्च 1932 को मनोहर भगत ध्यान राम के घर पर हुई डकैती के समय मौजूद था। इसके अलावा, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि उसने 1 अप्रैल 1932 को छत्ता थाने पर बम फेंका था या फेंकने में शामिल था। हम पहले ही जो कारण बता चुके हैं, उनसे हम इस बात से भी संतुष्ट नहीं हैं कि इस अपीलकर्ता ने जबरन वसूली के अपराध को बढ़ावा देते हुए एक टाइपराइटर उपलब्ध कराया था, जिस पर बम के साथ आनंदी लाल को भेजा गया पत्र टाइप किया गया था।

परिणामस्वरूप, हम इस अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार करते हैं और

धारा 120 बी भा.दं.सं. सपठित आरोप में उल्लिखित अन्य धाराओं के तहत दोषसिद्धि और सात साल के कठोर कारावास की सजा और धारा 395/397 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि और सात साल के कठोर कारावास की सजा और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4(ए) के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा और धारा 387 भा.दं.सं. सपठित धारा 109 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि, जिसके लिए कोई अलग सजा नहीं दी गई थी, को अपास्त करते हैं क्योंकि अपराध और सजा को षड्यंत्र के साथ मिला दिया गया था और निर्देश देते हैं कि जब तक किसी अन्य आरोप में अधिकारियों द्वारा अपेक्षित न हो इस अपीलकर्ता को तुरंत रिहा कर दिया जाए।

ज्वाला

चूंकि हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि अभियोजन पक्ष ने षड्यंत्र का आरोप साबित कर दिया है, इसलिए धारा 120 बी भा.दं.सं. सपठित आरोप में उल्लिखित अन्य धाराओं के तहत इस अपीलकर्ता की दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती। इसके अलावा, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि यह अपीलकर्ता 14 मार्च 1932 को मनोहर भगत ध्यान राम के गोदाम में हुई डकैती के समय मौजूद था और इसलिए उस अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि भी न्यायोचित नहीं है। परिणामस्वरूप हम इस अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार करते हैं और धारा 120बी भा.दं.सं. सपठित आरोप में उल्लिखित अन्य धाराओं के तहत दोषसिद्धि और सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा धारा 395/397 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि और सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा को अपास्त करते हैं और निर्देश देते हैं कि जब तक किसी अन्य आरोप में अधिकारियों द्वारा अपेक्षित न हो इस अपीलकर्ता को तुरंत रिहा कर दिया जाए।

प्रदत्त-

पी.सी.एस
एवं
के.सी.सी.
26.11.34

आभार अभिव्यक्ति

परम सम्मान के साथ, हम **माननीय ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन कमेटी, उच्चतम न्यायालय** का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी दूरदर्शिता से न्यायिक निर्णयों को आम जनमानस की भाषा में उपलब्ध कराया जा सका।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी** के तत्वावधान में **सुवास प्रकोष्ठ** द्वारा **ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका एवं त्रैमासिक ई-पत्रिका - न्यायाभा - न्याय की किरण** के प्रकाशन के पश्चात, **ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय** का प्रकाशन किया जा रहा है। यह कड़ी न्यायिक एवं विधिक ज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन बन रही है।

इस ई-पुस्तिका के प्रथम संस्करण में ऐतिहासिक **मुक़दमा चौरी चौरा** एवं द्वितीय संस्करण में **केशव सिंह प्रकरण** का प्रकाशन किया गया तथा यह तृतीय संस्करण ऐतिहासिक **आगरा षड्यंत्र केस** को समर्पित है।

इस अवसर पर हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय **मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरूण भंसाली जी** का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनके संरक्षण और मार्गदर्शन में यह कार्य संभव हो पाया है। **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार जी**, जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णयों की पुस्तिका के प्रकाशन का विचार प्रस्तुत किया और संपादक मंडल का कुशल नेतृत्व किया एवं **समिति के सदस्यगण माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान जी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा जी** का हृदय से धन्यवाद, जिनके दिशा-निर्देशन में यह प्रकाशन साकार हो रहा है। **श्री मंजीत सिंह श्योराण**, विद्वान महानिबंधक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को प्रकाशन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

इस अवसर पर हम ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण के निजी सचिव श्री संदीप भट्टाचार्या उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-III; श्री अभिषेक अग्रहरी उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-III; श्री अवधेश कुमार उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-III; श्री विश्व मोहन अरोरा, उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-III; श्री भास्कर, उप निबंधक- सह-निजी सचिव ग्रेड-III; श्री संजीव रंजन, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री धीरेन्द्र तमांग, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री शशि प्रकाश, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री आत्मेश केसरी, उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री इरफान उद्दीन सिद्दीकी, उपनिबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री राजेश कुमार मौर्य, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्रीमती मधुरिमा गर्ग, निजी सचिव ग्रेड-I एवं श्री निर्मल सिन्हा, निजी सचिव ग्रेड-I का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रकाशन में अपना अमूल्य योगदान दिया है।

अंत में, हम माननीय उच्च न्यायालय के सुवास प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करने के साथ ही आशा करते है कि यह प्रकाशन न्यायिक ज्ञान के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।

संपादक मण्डल

सुवास प्रकोष्ठ की संरचना

संयुक्त निबंधक
श्री विवेक श्रीवास्तव

सहायक निबंधक
श्री गोपाल सिंह बिष्ट (लखनऊ)

अनुभाग अधिकारी
सर्वश्री डॉ० मो. शहाब सिद्दीकी, सुधीर तिवारी, विनोद कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार कुशवाहा, राजेश तिवारी (लखनऊ)

समीक्षा अधिकारी
सर्वश्री राधा रमन, डॉ० अनुपम श्रीवास्तव, देवेंद्र सिंह, अमित कुमार पांडे, सुश्री प्रियंका गौतम, सुश्री आकृति मिश्रा, श्री सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी, श्री धरिन्द्र प्रताप, श्री मनीष कुमार सिंह, सुश्री शालिनी सिंह, श्रीमती अंजलि कुशवाहा

समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)
सर्वश्री प्रियरंजन, कुलदीप निगम, आदित्य मिश्रा, सुश्री अक्षिता चौधरी, सर्वेश कुमार वर्मा, शुभम पांडे, शुभम गुप्ता, सूरज गोस्वामी, सैयद असीम रसीद, जय शंकर यादव, प्रदीप कौशल, सुश्री अंकिता सचान, आशुतोष कुमार (लखनऊ), गजेन्द्र प्रताप सिंह (लखनऊ), श्रीमती काव्या यादव (लखनऊ), जितेंद्र कुमार (लखनऊ)

निर्णय अनुवादक (संविदा कर्मी)
सर्वश्री मनीष पाण्डेय, दिलीप शुक्ला, मनीष मिश्रा, उमेश शुक्ला

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
श्रीमती मंजू दुबे, श्री राकेश कुमार

संपादक मण्डल

वरिष्ठ संपादक

श्री विजय कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री विनय सरन, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री समीर शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

संपादक मण्डल

श्री अजय चंद्र गुप्ता
श्री अनिल मिश्र
श्री आशीष सिंह
श्री अनिल गुप्ता
श्री आशीष कुमार
श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव
सुश्री अर्चना सिंह
श्री आशुतोष कुमार राय
श्री ईश शरन
सुश्री गौरी दूबे
श्री कार्तिकेय सिंह
श्री कुणाल शाह
सुश्री निधि वर्मा
श्री पंकज कुमार अस्थाना
सुश्री साधना सिंह
श्री श्रेयस श्रीवास्तव
सुश्री सिमरन यादव
सुश्री सोनाक्षी अरोरा
श्री विनायक वर्मा
श्री यावर मुख्तार

पदेन सदस्य

श्री पवन कुमार शर्मा (समिति के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)-समन्वयक-संपादक मण्डल
श्री विवेक श्रीवास्तव, संयुक्त-निबंधक, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
श्री विनोद कुमार त्रिपाठी, अनुभाग अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
डॉ. अनुपम श्रीवास्तव, समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
श्री मनीष कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद

सुवास प्रकोष्ठ के अन्य प्रकाशन

न्यायाभा
न्याय की किरण

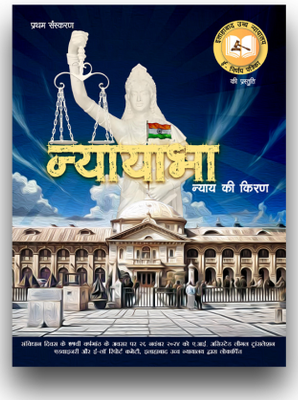

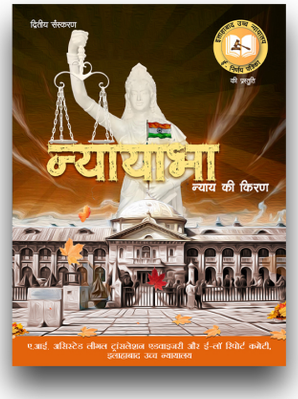

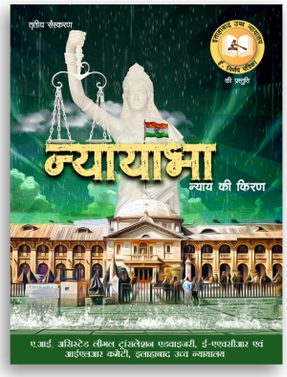

ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय

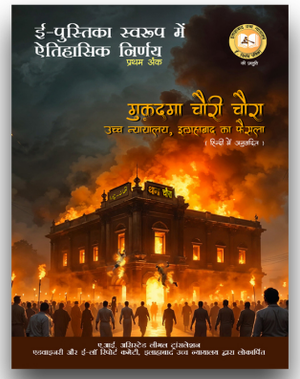

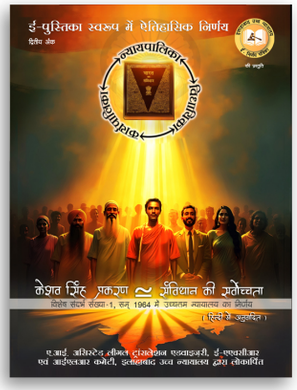

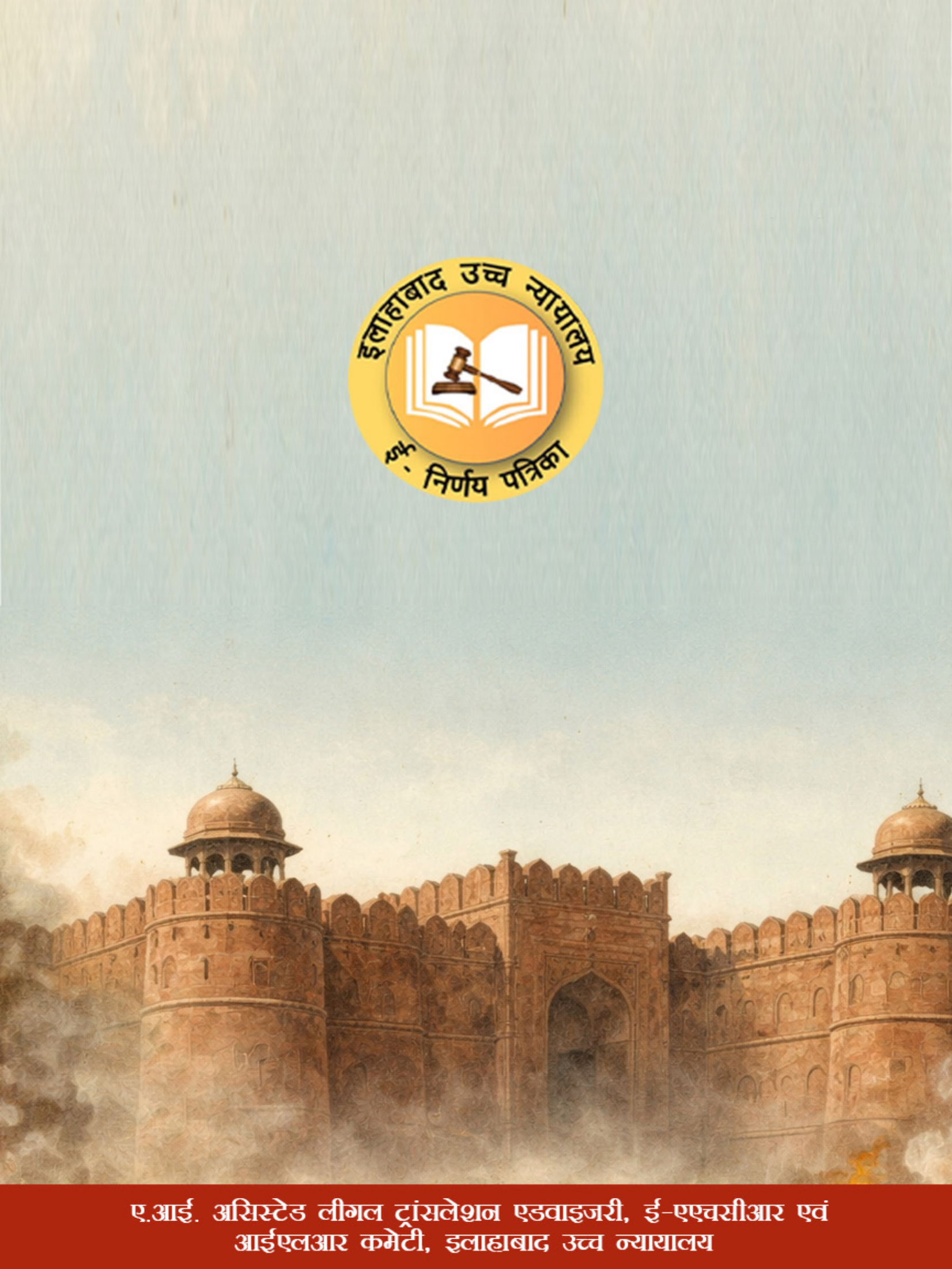

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ई - निर्णय पत्रिका

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एचसीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय